

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी मण्डल ग्वालियर
मध्यप्रदेश

अध्याय-1

सूचना का अधिकार

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4(1)(बी) में अंकित
बिन्दुओं की जानकारी

स्कूल शिक्षा विभाग
ग्वालियर

प्रस्तावना

1.1- हस्तपुस्तिका की पृष्ठभूमि -

भारत विश्व का सबसे बड़ा प्रजातान्त्रिक देश है। प्रजातंत्र में जनता का, जनता के लिये और जनता द्वारा शासन होता है। जनता को शासन/प्रशासन की समस्त गतिविधियों योजनाओं तथा कार्यों आदि की जानकारी प्रदान करना प्रजातंत्र का मुख्य आधार है,। इस दृष्टि से संसद के बिगत सत्र(मई 2005) में सूचना के अधिकार से संबंधित एक महत्व पूर्ण विधेयक पारित किया गया है जिसे ' ' सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 (तण्ण्ण ठपसस) का नाम दिया गया है।

1.2- हस्तपुस्तिका का उद्देश्य :-

हस्तपुस्तिका का उद्देश्य जनता को जिला अन्तर्गत स्कूल शिक्षा विभाग की जानकारी देना है जिससे कार्यमें पारदर्शिता बनी रहें। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए विभाग द्वारा जो कार्य सम्पन्न किये जाते हैं उनका विवरण सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा प्रकाशित कार्य आबंटन नियमों में दिया गया है।

1.3- हस्तपुस्तिका का उद्देश्य-

यह हस्तपुस्तिका सभी व्यक्तियों / संस्थानों / संगठनों / शिक्षा प्रेमियों के लिए उपयोगी है।

1.4- हस्तपुस्तिका का प्रारूप -

हस्तपुस्तिका में 17 बिन्दुओं की जानकारी है।

1.5- परिभाषाएं:-

हस्तपुस्तिका में प्रयुक्त शब्दावली निम्न प्रकार से परिभाषित है-

1. विभाग - विभाग से आशय स्कूल शिक्षा विभाग से है। इसमें जिला शिक्षा कार्यालय के अधीनस्थ कार्यालय शामिल है।
2. मण्डल - मण्डल से आशय म0प्र0 माध्यमिक शिक्षा अधिनियम क्रमांक 23 सन् 1965 के अन्तर्गत स्थापित माध्यमिक शिक्षा मण्डल भोपाल से है।

3. आयुक्त— आयुक्त से तात्पर्य आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल से है।
4. जिला शिक्षा अधिकारी— जिला शिक्षा अधिकारी से तात्पर्य जिले के प्रभारी शिक्षा अधिकारी से है।
5. विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी— विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी से तात्पर्य विकास खण्ड स्तर के शिक्षा अधिकारी से है।
6. प्राचार्य उ०मा०वि०— प्राचार्य उ०मा०वि० से तात्पर्य कक्षा 9 से 12 तक संचालित उ०मा०वि० के प्रधान से है।
7. प्राचार्य हाईस्कूल — प्राचार्य हाईस्कूल से तात्पर्य कक्षा 9 से 10 तक संचालित हाईस्कूल के प्रधान से है।
8. प्रधानाध्यापक मा०वि०— प्रधानाध्यापक मा०वि० से तात्पर्य कक्षा 6 से 8 तक संचालित मा०वि० के प्रधान से है।
9. प्रधानाध्यापक प्रा०वि०— प्रधानाध्यापक प्रा०वि० से तात्पर्य कक्षा 1 से 5 तक संचालित प्रा०वि० के प्रधान से है।
10. शिक्षक :- शिक्षक में सहायक शिक्षक, शिक्षक व्याख्याता, शिक्षाकर्मि, संविदा शिक्षक, गुरुजी, प्रयोगशाला सहायक, संगीत शिक्षक, उद्योग शिक्षक, वयायाम शिक्षक, शिल्प सहायक, निर्देशक, अनुदेशक – प्रधानाध्यापक, प्रध्यापक एवं ऐसे अन्य व्यक्ति सम्मिलित है जो किसी संस्था मे शिक्षण कार्य में लगे हो, भले ही उन्हे किसी नाम से जाना जाता हो।
11. संस्था प्रमुख— संस्था प्रमुख से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, जो तत्समय संस्था का प्रशासनिक प्रभारी हो, भले ही उसे किसी भी नाम से जाना जाता हो।
12. संस्था— संस्था से तात्पर्य ऐसी शाला या अन्य शिक्षण संस्था से है, जो विभाग द्वारा चलाई जाती हो, या मान्यता प्राप्त हो, जो पूर्व प्राथमिक, पूर्व माध्यमिक या उ०मा०वि० स्तर पर हो या किसी विशेष शाला के रूप में शिक्षण देती हो।

13. **पूर्व प्राथमिक शाला** — पूर्व प्राथमिक शाला से तात्पर्य ऐसी शाला से है जहाँ सामान्यतः ऐसे बच्चे शिक्षण पाते हैं जिनकी उम्र ढाई वर्ष से कम न हो तथा 6 वर्ष से अधिक नहीं है।
14. **प्राथमिक शाला**— से तात्पर्य ऐसी शाला से है जहाँ कक्षा 1 से 5 तक शिक्षा दी जाती है।
15. **पूर्व माध्यमिक शाला**— पूर्व माध्यमिक शाला से तात्पर्य ऐसी शाला से है जो प्राथमिक स्तर की शिक्षा के ठीक बाद और उ०मा०वि० स्तर के ठाक पहले अर्थात् कक्षा 6 से 8 तक शिक्षा देती है।
16. **उ०मा०वि० शाला**— उ०मा०वि० शाला से तात्पर्य ऐसी शाला से है जहाँ पूर्व माध्यमिक शाला से ठीक बाद एवं विधि द्वारा स्थापित विश्व विद्यालय द्वारा नियंत्रित शिक्षा के ठाक पूर्व की शिक्षा दी जाती है।
17. **शाला विशेष** — शाला विशेष से तात्पर्य किसी विशेष प्रयोजन से संचालित शिक्षण संस्था से है।
18. **हाईस्कूल** — हाईस्कूल से तात्पर्य कक्षा 9 एवं 10 की शिक्षण संस्थाओं से है।
19. **शिक्षा सत्र**— शिक्षा सत्र से तात्पर्य एक जुलाई से (जब शाला प्रारम्भ होगी) अगले वर्ष की 30 अप्रैल तक (जब शाला बन्द होगी) की अवधि से है जिसमें सभी अवकाश व छुट्टिया भी सम्मिलित हैं बशर्त कि किसी संस्था विशेष के लिए भिन्न अवधि निर्धारित न की जावें।
20. **शासकीय विद्यालय**— शासकीय विद्यालय से तात्पर्य राज्य शासन द्वारा संचालित एवं वेतन प्राप्त विद्यालय से है।
21. **अशास०मान्यता प्राप्त शालाएँ**— अशास० मान्यता प्राप्त शालाओं से तात्पर्य ऐसी शालाओं से है, जो राज्य शासन द्वारा संचालित न होकर किसी समिति द्वारा संचालित हो।
22. **अनुदान प्राप्त शालाएँ** — अनुदान प्राप्त शालाओं से तात्पर्य ऐसी अशा० मान्यता प्राप्त शालाओं से है, जिन्हे शासन द्वारा ब्लॉक ग्रान्ट स्वीकृत है।

23. अभिभावक शिक्षक संघ — अभिभावक शिक्षक संघ से तात्पर्य शाला में गठित ऐसे संघ से है जो स्कूल के प्रबंध के लिये पूर्ण उत्तरदायी होता है ।

24. शिक्षा समिति — शिक्षा समिति से तात्पर्य म0प्र0 पंचायती राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 (कमांक/सन 1994) के तथा उसके आधीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों के अधीनगठित होती है ।

1.6— “विषय एवं सम्पर्क व्यक्ति ”

- 1— संगठन की बिशिष्टिया , कृत्य एवं कर्तव्य
- 2— अधिकारियों की शक्तियों एवं कर्तव्यों का विवरण
- 3— कृत्यों के निर्वहन हेतु नियम, विनियम, अनुदेश,निर्देशिका और अभिलेख
- 4— नीति निर्धारण व कार्यान्वयन के संबंध में जनता या जनप्रतिनिधि से परामर्श के लिए बनाई गई व्यवस्था का विवरण
- 5— विभाग के पास उपलब्ध विभिन्न श्रेणी के दस्तावेजो का विवरण
- 6— बोर्ड ,परिषदों ,समितियों, एवं अन्य निकायों का विवरण
- 7— लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम, एवं अन्य विशिष्टियां
- 8— निर्णय लेने की प्रक्रिया
- 9— अधिकारियों तथा कर्मचारियों की निर्देशिका
- 10— जिला अन्तर्गत विभाग में कार्यरत सभी अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक एवं उनके निर्धारण की पद्धति
- 11— प्रत्येक अभिकरण को आबंटित बजट
- 12— अनुदान/राज सहायता कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की रीति
- 13— रियायतों अनुबन्धपत्रों तथा प्राधिकारों के प्राप्तिकर्ताओं के संबंध में विवरण
- 14— कृत्यों के निर्वहन हेतु मानक / नियम
- 15— इलेक्ट्रॉनिक रूप से उपलब्ध सूचनाएँ
- 16— सूचना प्राप्त करने के लिए नागरिक को उपलब्ध सुविधाओं का विवरण
- 17— अन्य जानकारियों जिन्हे विभाग द्वारा दिया जाना सुनिश्चित किया जाये तथा उनके पश्चात इन प्रकाशनों को अद्यतन किया जावे ।

सम्पर्क :-

“सम्पर्क व्यक्ति ” जिला स्तर पर जिला शिक्षा अधिकारी जिला ग्वालियर एवं विकास खण्ड स्तर पर संपर्क व्यक्ति विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी है ।

1.7— अतिरिक्त सूचना प्राप्त करने की विधि एवं शुल्क —सूचना के अधिकार के तहत निर्देशों के अनुसार निर्धारित शुल्क जमा करने पर प्राप्त की जा सकती है जो कार्यालय में नोटिस बोर्ड पर अंकित है ।

अध्याय -2
मैनुअल -1
 संगठन की बिशिष्टिया , कृत्य एवं कर्तव्य

2.1— लोक प्राधिकरण के उद्देश्य :-

स्कूल शिक्षा के अन्तर्गत संचालित शासकीय अनुदान प्राप्त अशासकीय गैर अनुदान प्राप्त अशासकीय संस्थाओं में प्रदत्त शिक्षा की मॉनीटरिंग करना है।

2.2— लोक प्राधिकरण का मिशन :-

बालक बालिकाओं को शिक्षित करना—

2.3 लोक प्राधिकरण का गठन :-

राज्य शासन द्वारा लोक प्राधिकरण का गठन किया गया है ।

2.4— लोक प्राधिकरण के कर्तव्य —

जिला अन्तर्गत स्कूल शिक्षा विभाग के पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक , माध्यमिक, पूर्व , माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में शासन की नीति का कार्यान्वयन करना है।

2.5— लोक प्राधिकरण के मुख्य कृत्य निम्नानुसार है : —

- पूर्व प्राथमिक शिक्षा
- प्राथमिक शिक्षा
- माध्यमिक शिक्षा
- उच्चतर माध्यमिक शिक्षा
- शालाओं का सैटअप
- शाला पाठ्यचर्या
- शाला हेतु उपकरण
- शालाओं हेतु पाठ्यपुस्तके, शाला पुस्तकालय एवं पुस्तक बैंक

- शालाओं के शिक्षक / कर्मचारियों का प्रशिक्ष
- अशासकीय शालाओं का सहायक अनुदान
- शालाओं में शारीरिक शिक्षा एवं खेलकूद
- शालाओं में बालचर तथा पथदर्शिकाएँ
- शालाओं में परीक्षा का संचालन
- विकलॉग छात्र-छात्राओं हेतु समेकित शिक्षा योजना
- विभाग से संबंधित सेवाओं से संबंधित सभी बिषय जैसे नियुक्तियों / पदस्थापनाएँ, स्थानान्तरण, वेतन , अवकाश , सेवानिवृत्त वेतन , पदोन्नतियों , भविष्य निधि , प्रतिनियुक्ति, दण्ड एवं अभ्यावेदन ।

2.6—लोक प्राधिकरण द्वारा प्रदत्त सेवाओं की सूची एवं उनका संक्षिप्त विवरण—

जिला स्तर पर —

जिला शिक्षा अधिकारी :-

- प्रभावी शिक्षण व्यवस्था करना
- शालाओं एवं विकास खण्ड कार्यालयों का निरीक्षण कर आकदमिक कार्यों में मार्गदर्शन प्रदान करना ।
- अशा0 शालाओं को मान्यता प्रदान करना ।
- अशासकीय शालाओं को अनुदान प्रदान करना ।
- पाठयक्रम क्रियाकलाप —
- एन0सी0सी0, एन0एस0एस0,स्कॉउड, गार्ड , रेडक्रास,क्रीडा,साहित्यिक, सास्कृतिक तथा विज्ञान क्लब आदि कार्यक्रम , पर्यावरण सुधार आदि कार्यक्रमों का समन्वय करना ।
- प्राचार्यो उ0मा0वि0 / हाईस्कूल एवं विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी की गोपनीय चरित्रावली लिखना तथा जिले में कार्यरत सभी शिक्षकों एवं कर्मचारियों की गोपनीयचरित्रावली संधारित करना ।
- संचालनालय लोक शिक्षण एवं वरिष्ठ कार्यालय द्वारा समय—समय पर मांगी गई जानकारी उपलब्ध कराना एवं दायित्वों का निर्वहन करना ।
- विधान सभा प्रश्नों का उत्तर समय पर भेजना, लंबित प्रश्नों के उत्तर भेजना एवं लंबित आश्वासनों पर समुचित कार्यवाही करना ।
- शालाओं का समय समय पर आडिट करना तथा व्यय पर नियंत्रण सुनिश्चित करना ।
- स्थपना संबंधी सभी मामलों में उचित कार्यवाही करना ।
- संचालनालय द्वारा प्रयोजित मीटिंगों में भाग लेना ।

- सूचना का अधिकार तथा सिटीजन चार्टर से संबंधी सभी कार्यवाही पूर्ण करना ।

विकास खण्ड स्तर –

विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी –

- प्राथमिक तथा माध्यमिक शालाओं के शिक्षकों एवं प्रधानाध्यापकों के स्थापना संबंधी कार्यों की पूर्ति करना ।
- प्राथमिक एवंपूर्व माध्यमिक शालाओं एवं शिक्षकों से संबंधित समस्त वित्तीय मामलें सुनिश्चित करना ।
- विकास खण्ड कार्यालय के सभी आहरण एवं सवितरण तथा लेखा संबंधी कार्य ।
- विकास खण्ड के समस्त प्राथमिक एवं माध्यमिक विधालयों का निरीक्षण ।
- प्राथमिक तथा माध्यमिक शालाओं से संबंधित योजनाओं का क्रियान्वयन एवं मॉनिटरिंग ।
- विधालयों से जानकारियां प्राप्त कर बरिष्ठ कार्यालयों को भेजना ।
- वेतन केन्द्रों से संबंधित समस्त कार्य ।
- जिला शिक्षा अधिकारी एवं संचालनालय द्वारा जो भी दायित्व सौंपे जावे उन्हें पूर्ण करना ।

शिक्षा संकुल केन्द्र

संकुल प्राचार्य

- शिक्षा संकुल में आने वाले विधालयों के शिक्षकों एवं कर्मचारियों के वेतन एवं भत्तों का आहरण ।
- संकुल केन्द्र में आने वाले समस्त शिक्षक/कर्मचारियों के अवकाश स्वीकृत करना ।
- संकुल के विधालयों में शैक्षणिक व्यवस्था करना ।
- संकुल के अन्तर्गत आने वाले विधालयों का निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण करना ।

2.7— लोक प्राधिकरण के जिलान्तर्गत विभिन्न स्तरों का संगठनात्मक ढांचा

जिला स्तर

जिला स्तर पर जिला शिक्षा अधिकारी का पद स्वीकृत है जो विभाग के प्रशासनिक वित्तीय, आकादमिक एवं निरीक्षण संबंधी कार्यों के लिये उत्तरदायी होता है। जिले में पूर्व प्राथमिक से लेकर उच्चतर माध्यमिक स्तर तक के समस्त शासकीय विद्यालयों का नियंत्रण जिला शिक्षा अधिकारी के नियंत्रण में रहता है। जिले में संचालित अशासकीय विद्यालयों का माध्यमिक स्तर तक के अनुमति एवं मान्यता देने का तथा उनके अकादमिक निरीक्षण का उत्तरदायित्व भी जिला शिक्षा अधिकारी ही वहन करते हैं, साथ ही अशासकीय हाई स्कूल एवं उ०मा०वि० स्तर के विद्यालयों का नियंत्रण भी जिला शिक्षा अधिकारी के अधीन रहता है। जिला शिक्षा अधिकारी को कार्य में सहायता देने के लिये एक सहायक संचालक, एक शारीरिक शिक्षा अधिकारी, एक योजना अधिकारी, एक लेखा अधिकारी, ऑडीटर एवं विभिन्न श्रेणी के लिपिक वर्गीय पद स्वीकृत हैं।

राज्य में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू होने के फलस्वरूप विद्यालयों में भौतिक सुविधाओं को उपलब्ध कराने, शिक्षकों की नियुक्ति करने तथा शिक्षकों की स्कूलों में नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने संबंधी अधिकार जिला पंचायत, जनपद पंचायत, नगर निगम, तथा नगर पंचायतों को दिये गये हैं। जिले में कार्यरत नगरीय निकाय तथा जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को इन व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने का दायित्व सौंपा गया है।

संभागीय मुख्यालय पर जिला शिक्षा अधिकारी के अधीन विधि प्रकोष्ठ कार्य करता है। विधि प्रकोष्ठ में संभाग के सभी 9 जिलों के स्कूल शिक्षा विभाग के न्यायालयीन प्रकरणों के निपटारे एवं समीक्षा का कार्य करना होता है। इस कार्य में जिला शिक्षा अधिकारी की सहायता हेतु 3 सहायक संचालक, 2 व्याख्याता, एक जूनियर ऑडीटर, पदस्थ है।

विकास खण्ड स्तर —

ग्वालियर जिले में कुल चार विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी हैं, मुरार, घाटीगँव, डबरा एवं भितरवार। विकास खण्ड स्तर पर शिक्षा के प्रशासनिक अकादमिक, निरीक्षण एवं वित्तीय कार्यों का उत्तरदायित्व विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी को सौंपा गया है। विकास खण्ड स्तर के प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक विद्यालयों का नियंत्रण विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी के अधीन होता है। विकास खण्डों में संचालित समस्त शालाएँ, स्कूल

शिक्षा विभाग के द्वारा संचालित की जाती है । विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी की सहायता के लिये लिपिकीय पद स्वीकृत है । विकास खण्ड स्तर पर जनपद पंचायतों को भी विद्यालयों में भौतिक सुविधाएँ उपलब्ध करने एवं शिक्षकों की उपस्थिति सुनिश्चित करने संबंधी अधिकार प्रदान किये गये हैं । जनपद पंचायतों में यह व्यवस्था मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायतों द्वारा सुनिश्चित की जाती है ।

संकुल स्तर

ग्वालियर जिले में कुल 58 संकुल केन्द्र हैं । संकुल स्तर पर संकुल प्राचार्य होता है जिसका गठन प्रत्येक 8 किलोमीटर की दूरी परिधि में किया गया है । संकुल अन्तर्गत आने वाले समस्त शासकीय/अशासक प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों का निरीक्षण करना तथा शासकीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों का वेतन भुगतान आदि करना है ।

2.8— लोक प्राधिकरण की कार्य दक्षता बढ़ाने हेतु जन सहयोग की अपेक्षा:—

पालक शिक्षक संघ एवं शिक्षा समिति के माध्यम से जन सहयोग लिया जाता है ।

2.9—जन सहयोग सुनिश्चित करने के लिये विधि/ व्यवस्था —

पालक शिक्षक संघ एवं शिक्षा समिति के माध्यम से जन सहयोग लिया जाता है । जनशिक्षा अधिनियम में इसके लिए आवश्यक निर्देश दिये गये हैं ।

पालक शिक्षक संघ—

जिले के प्रत्येक विधालय में पालक शिक्षक संघ का गठन किया जाता है , जिसका मुख्य उद्देश्य संस्था प्रमुख एवं अभिभावकों के बीच एक सेतु स्थापित करना तथा विधालय के विकास कार्यों में अभिभावकों को अधिकाधिक रुचि लेने हेतु प्रोत्साहित करना है । जन शिक्षा अधिनियम में पालक शिक्षक संघ की स्थापना का उल्लेख किया गया है ।

शिक्षा समितियाँ—

जिले में पंचायती राज्य व्यवस्था लागू होने के फलस्वरूप स्कूल शिक्षा से संबंधित

बहुत से महत्व पूर्ण कार्य पंचायती राज्य संस्थाओं को सौंपे गये है । ग्राम पंचायत ,जनपद पंचायत , एवं जिला पंचायत स्तर पर स्कूल शिक्षा से संबंधित कार्यों की देख रेख के लिये

शिक्षा समितियों गठित की गई है । समितियों को अपने स्तर पर शिक्षा से संबंधित कई महत्वपूर्ण कार्य जैसे अप्रवेशी बालकों का प्रवेश , विधालय में शिक्षक तथा छात्र-छात्राओं की उपस्थिति सुनिश्चित करना । मध्यान्ह भोजन , निर्माणकार्य शालाओं के समुचित संचालन के लिए स्थानीय समुदाय से सहयोग जुटाना आदि कार्य सौंपे गये है। शिक्षा समितियों में जनता के चुने हुए प्रतिनिधि मनोनीत नागरिक, अभिभावक, शिक्षक तथा छात्रगण के रूप में कार्य करते है,। इस प्रकार नागरिकों का शिक्षण कार्य में सीधे भागीदारी का अवसर शिक्षा समितियों के माध्यम से प्रदाय किया जा रहा है।

2.10— जिला स्तर शिकायत कक्ष स्थापित है जो प्राप्त शिकायतों पर जाँच कर कार्यवाही करता है ।

शैक्षणिक कैलेण्डर—

प्रत्येक विद्यालय में पाठ्येतर गतिविधियाँ नियमित रूप से एवं निर्धारित समयावधि में संचालित हो ताकि शैक्षणिक वातावरण एवं गुणवत्ता को उन्नत किया जा सके । यह कैलेण्डर प्रतिवर्ष संचालनालय स्तर पर तैयार किया जाता है जिससे विद्यालयों के कार्यों में गति लाई जा सके ।

2.11— मुख्य कार्यालय तथा विभिन्न स्तरों पर कार्यालयों के पते :-

मुख्य कार्यालय

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी सैन्ट्रल लायब्रेरी के ऊपर, बाडा

लशकर ग्वालियर

दूरभाष क्रमांक— 071—2421242

अन्य कार्यालय

जनपद पंचायत का नाम	कार्यालय का नाम एवं पता	कार्यालय का दूरभाष क्रमांक
मुरार	विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी बारादरी चौराहा मुरार	9301123512
मुरार	„उत्कृष्ट क्र०—1 मुरार	2368760

मुरार	शा0उ0माम0वि0गोरखी	2332878
-------	-------------------	---------

मुरार	शा0उ0मा0वि0 जीवाजीराव	2335641
मुरार	शा0उ0मा0वि0जनकगंज	2425748
मुरार	शा0उ0मा0वि0टकसाल	2329197
मुरार	शा0उ0मा0वि0पागनवीसी	2332334
मुरार	शा0उ0मा0वि0हरीदर्शन	2323257
मुरार	शा0उ0मा0वि0राजकीय हिन्दीविद्यापीठ	2430613
मुरार	शा0उ0मा0वि0क0 मामा का बाजार	2334144
मुरार	शा0उ0मा0वि0क0 पदमा	2326177
मुरार	शा0उ0मा0वि0क0 गजराराजा	2420171
मुरार	शा0उ0मा0वि0क0 शिन्दे की छावनी	
मुरार	शा0उ0मा0वि0रेल्वे कालौनी	2334566
मुरार	शा0उ0मा0वि0क0 ग्वालियर	2365116
मुरार	शा0उ0मा0वि0पटेल ग्वालियर	2365484
मुरार	शा0उ0मा0वि0शिक्षा नगर	2421506
मुरार	शा0उ0मा0वि0क0 ठाटीपुर	2341309
मुरार	शा0उ0मा0वि0क0 मलवा मुरार	2368048
मुरार	शा0उ0मा0वि0उत्कृष्ट क्र0-1 मुरार	2368760
मुरार	शा0उ0मा0वि0उटीला	—
मुरार	शा0उ0मा0वि0बेहट	—
मुरार	शा0उ0मा0वि0हस्तिनापुर	—
मुरार	शासकीय हाईस्कूल सराफा	—
मुरार	शासकीय हाईस्कूल इंजीनियरिंग	
मुरार	शासकीय हाईस्कूल फोर्ट	—
मुरार	शासकीय हाईस्कूल जे0ए0सिंध	
मुरार	शासकीय हाईस्कूल ठाटीपुर	—
मुरार	शासकीय हाईस्कूल हिन्दी हुजरात	
मुरार	शासकीय हाईस्कूल डबका	
मुरार	शासकीय हाईस्कूल सौसा	
मुरार	शासकीय हाईस्कूल सिरसौद	
मुरार	शासकीय हाईस्कूल बहादुरपुर	
मुरार	शासकीय हाईस्कूल सुपावली	
डबरा	विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी डबरा	504399
डबरा	शा0उ0मा0वि0बा0डबरा उत्कृष्ट विधालय	22808
डबरा	शा0उ0मा0वि0क0 डबरा 0751-2325053	07524-226555
डबरा	शा0उ0मा0वि0बालक पिछोर	
डबरा	शा0उ0मा0वि0कन्या पिछोर	
डबरा	शा0उ0मा0वि0बिलौआ	
डबरा	शा0हाई स्कूल डबरा क्र0-2	

डबरा	शासकीय हाईस्कूल बरौठा	
------	-----------------------	--

डबरा	शासकीय हाईस्कूल मेहगाँव	
डबरा	शासकीय हाईस्कूल अकबई बडी	
डबरा	शासकीय हाईस्कूल शुकलहारी	
डबरा	शासकीय हाईस्कूल करियावठी	
भितरवार	विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी भितरवार	287153
भितरवार	शा0उ0मा0वि0भितरवार उत्कृष्ट विधालय	
भितरवार	शा0उ0मा0वि0करहिया	
भितरवार	शा0उ0मा0वि0चीनौर	
भितरवार	शा0उ0मा0वि0क0 आँतरी	
भितरवार	शा0हाईस्कूल डोगरपुर	
भितरवार	शासकीय हाईस्कूल सिघारन	
भितरवार	शासकीय हाईस्कूल साँखनी	
भितरवार	शासकीय हाईस्कूल कैरुआ	
भितरवार	शासकीय हाईस्कूल बनवार	
भितरवार	शासकीय हाईस्कूल कछौआ	
भितरवार	शासकीय हाईस्कूल अमरौल	
घाटीगाँव	विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी घाटीगाँव	228334
घाटीगाँव	शा0उ0मा0वि0घाटीगाँव उत्कृष्ट विधालय	
घाटीगाँव	शा0उ0मा0वि0मोहना	
घाटीगाँव	शा0उ0मा0वि0 रेहट	
घाटीगाँव	शा0उ0मा0वि0पनिहार	
घाटीगाँव	शा0हाईस्कूल बरौआ	
घाटीगाँव	शासकीय हाईस्कूल पुरानी छावनी	
घाटीगाँव	शासकीय हाईस्कूल कुलैथ	
घाटीगाँव	शासकीय हाईस्कूल निरावली	
घाटीगाँव	शासकीय हाईस्कूल बरई	
घाटीगाँव	शासकीय हाईस्कूल पाटई	
घाटीगाँव	शासकीय हाईस्कूल, परि	
घाटीगाँव	शासकीय हाईस्कूल दौरार	
घाटीगाँव	शासकीय हाईस्कूल सिमिरिया	

2..12— कार्यालय खुलने का समय — 10—30 प्रातः
कार्यालय बन्द होने का समय — 05—30 सायं

अध्याय-3
मैनुअल -2
अधिकारियों की शक्तियों एवं कर्तव्यों का विवरण

नाम पद	प्रशासकीय	वित्तीय	अन्य
जिला शिक्षा अधिकारी	1.समस्त शासकीय एवं अशासकीय शालाओं का प्रशासकीयनियंत्रण 2 प्राचार्य,उ0मा0वि0,विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी एवं हाईस्कूल की गोपनीयचरित्रावली लिखना एवं संधारित करना 3.प्राथमिक एवं माध्यमिक परीक्षा का संचालन 4.शारीरिक शिक्षा की व्यवस्था एवं प्रतियोगिताओं का आयोजन	1.पार्ट फाइनल ,जी0पी0एफ0की स्वीकृति प्रदान करना। 2.वरिष्ठ कार्यालय से प्राप्त वंटन जिलान्तर्गत कार्यालयों /शालाओं को पुर्न वटित करना। 3.अनुदानसंबंधी मामलोंमेंसमुचित कार्यवाही करना। 4. शालाओं का वित्तीय ऑडिट करना एवं नियंत्रण करना।	1.जिलान्तर्गत सभी शालाओं एवं कार्यालयों का निरीक्षण 2.माध्यमिक स्तर तक की शालाओं को मान्यता आदि देना 3.स्थापना संबंधी सभी मामलों में उचित कार्यवाही करना 4.सूचना का अधिकारी और सिटीजन चार्टर संबंधी सभी कार्यवाही पूर्ण करना
सहायकसंचालक शिक्षा	जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा सौपे गये दायित्वों का निर्वहन करना		
सहायक संचालक विधि प्रकोष्ठ	प्रभारी अधिकारी विधि प्रकोष्ठ के रूप में कार्य करना		
लेखाधिकारी	बजट एवं लेखा संबंधी कार्यों में जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा सौपे गये कार्यों को पूर्ण करना		
योजना अधिकारी	समस्त योजनाओं के क्रियान्वयन में जिला शिक्षा अधिकारी को सहयोग करना		
क्रीडा.अधिकारी	शारीरिक शिक्षा एवं खेलकूद प्रतियोगिताओं के आयोजन में जिला शिक्षा अधिकारी को सहयोग करना		

	प्रशासकीय	वित्तीय	अन्य
विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी	<p>1. प्राथमिक एवं पूर्व प्राथमिक के प्र0अ0/शिक्षकों के स्थापना संबंधी कार्यों की पूर्ति करना ।</p> <p>2. विकास खण्ड के समस्त प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक शालाओं का निरीक्षण</p> <p>3. प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक शालाओं से संबंधित योजनाओं का क्रियान्वयन तथा मॉनिटरिंग</p>	<p>1. प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक शालाओं एवं शिक्षकों से संबंधित वित्तीय मामले सुनिश्चित करना</p> <p>2. विकास खण्ड कार्यालय के सभी आहरण वितरण एवं लेखा संबंधी कार्य</p>	
शाला संकुल स्तर	<p>1. संकुल केन्द्र में आने वाले समस्त शिक्षक एवं कर्मचारियों के अवकाश स्वीकृत करना ।</p> <p>2. संकुल के विधालयों की शैक्षणिक व्यवस्था करना ।</p> <p>3. संकुल के अन्तर्गत आने वाले सभी विधालयों का निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण करना ।</p>	<p>शिक्षा संकुल में आने वाले विधालयों के शिक्षकों एवं कर्मचारियों के वेतन भत्तों का आहरण व वितरण करना</p>	
प्रधानाध्यापक मा0वि0	<p>1. विधालय के शिक्षकों से संबंधित समस्त कार्य सम्पन्न कराना ।</p> <p>2. शाला से संबंधित शिक्षक एवं विधार्थियों का समस्त रिकॉर्ड संधारित करना ।</p> <p>3. शाला की शैक्षणिक एवं पाठ्येत्तर कार्यों का संचालन एवं निरीक्षण ।</p> <p>4. विधालयों में प्रचलित योजनाओं का संचालन ।</p>		

<p>प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय</p>	<p>1.प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों से संबंधित समस्त कार्य सम्पन्न कराना । 2. शाला से संबंधित शिक्षक /विधार्थीयों के समस्त रिकार्ड को संधारित करना । 3.शाला की शैक्षणिक एवं पाठयेत्तर कार्यो का संचालन एवं निरीक्षण । 4.विधालय में प्रचलित योजनाओं का संचालन</p>		
--	---	--	--

अध्याय-4
मैनुअल-3
कृत्यों के निवृहण हेतु नियम विनिमय मैनुअल एवं अभिलेख

अभिलेख का नाम	अभिलेख का परिचय	अभिलेख का प्राप्ति स्थान
1. अधिनियम	<ul style="list-style-type: none"> —म.प्र.मा.शि0अधिनियम 1995 तथा संशोधित अधिनियम 1974 —म.प्र.प्रा.मिडिल तथा मा0शिक्षा(पा.पुस्तकों संबधी व्यवस्था) अधिनियम 1973 तथा 1974 — म.प्र.अशा.शिक्षण संस्था (अध्यापक एवं अन्य कर्मचारियों का संदाय) अधिनियम 1978 एवं संशोधित अधिनियम 2000। — म.प्र.आवश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम 1979 — म.प्र.शासकीय सेवक(अधिवार्षिकीयआयु) संशोधित अधिनियम 1984,87,97,98 — मध्य प्रदेश कराधान अधिनियम 1982 — म.प्र. जनशिक्षा अधिनियम 2002 — म.प्र.मदरसा बोर्ड अधिनियम 1998 — म.प्र.माध्यमिक शिक्षा नियम 1966 — मध्यप्रदेश की अशा.शिक्षण संस्थाओं के लिये पुनरीक्षित अनुदान नियम 1979 — मध्यप्रदेश सिविल सेवा की सामान्य शर्ते, नियम 1961 — मध्यप्रदेश अशा.शिक्षण 	लोकशिक्षण संचालनालय म.प्र. +शासकीय प्रकाशनों के स्थानीय विक्रेतागण
2-नियम		

<p>3.मैनुअल</p>	<p>संस्था (संस्थागत निधि) नियम1983 । - मध्यप्रदेश शाला भवन उपकर नियम 1983 । - मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 । - मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण नियन्त्रण तथा अपील) 1966 - मध्यप्रदेश अराजपत्रित तृतीय वर्ग शैक्षणिक सेवा (अमहाविद्यालयीन)भर्ती एवं पदोन्नति नियम-1973 - मध्यप्रदेश शिक्षा विभाग (अमहाविद्यालयीन) तृतीय श्रेणी(लिपिक वर्गीय) भर्ती तथा पदोन्नति नियम 1973 - मध्यप्रदेश शालेय शिक्षा राजपत्रित सेवा भर्ती तथा पदोन्नति नियम 1982 - अशा0शिक्षण संस्थाओं का मान्यता नियम 2005 । - स्कूलशिक्षा विभाग के आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों की भर्ती तथा सेवा की शर्तें नियम-1987 । - मध्यप्रदेश लोकसेवा (पदोन्नति) नियम 2002 । - मध्य प्रदेश पंचायत शिक्षाकर्मि (भर्ती तथा सेवा शर्तें) नियम 1997 । - मध्यप्रदेश नगरपालिका शिक्षा कर्मि (भर्ती तथा सेवा शर्तें) नियम 1978 । - मध्यप्रदेश पंचायत संविदा शाला शिक्षक(भर्ती तथा सेवा शर्तें) नियम 2001 । - मध्यप्रदेश नगरपालिका संविदाशाला शिक्षक (नियुक्ति एवं सेवा शर्तें) नियम 2001 ,2003 एवं 2005 । - कोषालय एवं वित्त संहिता संबन्धी नियम ।</p>	
-----------------	---	--

	<ul style="list-style-type: none">– मध्य प्रदेश सिविल सेवा चिकित्सा परिचर्या नियम 1958 ।– मध्य प्रदेश शिक्षा संहिता ।– शिक्षक कल्याण प्रतिष्ठान की मार्ग दर्शिका ।– उत्कृष्ट विद्यालय संबधी मार्गदर्शिका ।– प्राथमिक/माध्यमिक बोर्ड परीक्षा की मार्गदर्शिका ।– शीघ्र लेखन, /मुद्रलेखन परीक्षा संबधी मेनुअल ।	
--	---	--

अध्याय-5

(मैनुअल -4)

नीति निर्धारण व कार्यान्वयन के संबंध में जनता या जन प्रतिनिधि से परामर्श के लिए बनाई गई व्यवस्था का विवरण

पालक शिक्षक संघ :-

शिक्षको एवं पालकों के बीच एक सूत्र के रूप में कार्य करने , पालकों को शाला के विभिन्न कार्यों में रुचि लेने के लिए प्रोत्साहित करने, शतप्रतिशत बालकों को शाला मे उपस्थिति दर्ज कराने व शैक्षिक गुणवत्ता में सुधार हेतु आदि विकास के कार्यों के लिए पालक -शिक्षक संघ का गठन किया गया है ।

शिक्षा समिति :-

प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था लागू होने के फलस्वरूप स्कूल शिक्षा से संबंधित बहुत से महत्वपूर्ण कार्य पंचायती राज संस्थाओं को सौंपे गये है । ग्राम पंचायत ,जनपद पंचायत , जिला पंचायत स्तर पर स्कूल शिक्षा से संबंधित कार्यों की देख-रेख के लिये शिक्षा समितियां गठित की गई है । समितियों को अपने अपने स्तर पर शिक्षा से संबंधित कई महत्वपूर्ण कार्य जैसे स्कूल जाने योग्य सभी बच्चों को विद्यालयों में भर्ती कराना तथा विद्यालयों में उनकी नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करना, शालाओं के समुचित संचालन के लिये स्थानीय समुदाय से सहयोग जुटाना , संस्थाओं में योजनाबद्ध विकास के लिये कार्य करना , छात्रों को दिए जाने वाले प्रोत्साहन कार्यक्रमों जैसे निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण , निःशुल्क गणवेश प्रदाय छात्र वृत्ति , मध्यान्ह भोजन योजना आदि का नियमित रूप से अनुश्रवण करना , संस्थाओं के बीच में समन्वय बनाये रखना आदि कार्य सौंपे गये है । शिक्षा समितियों में जनता के चुने हुये प्रतिनिधि, मनोनीत नागरिक अभिभावक , शिक्षक तथा छात्र गण सदस्य रूप में कार्य करत है । इस प्रकार नागरिकों को शिक्षा के कार्य में सीधे भागीदारी का अवसर शिक्षा समितियों के माध्यम से प्रदाय किया ज5ा रहा है ।

अध्याय-6
मैनुअल-5
विभाग के पास उपलब्ध विभिन्न श्रेणी के दस्तावेजों का विवरण

मध्यप्रदेश शिक्षा संहिता:-

विभाग के कार्यों को सुचारु रूप से संचालन करने के लिये विभाग द्वारा वर्ष 1973 में शिक्षासंहिता की रचना की है , जिसमें विभाग के विभिन्न क्रिया कलापों का विवरण ,परिभाषायें कार्यों को करने के लिये दिशा निर्देश, विभाग में प्रचलित अधिनियम ,नियम आदि का विस्तृत बर्णन किया गया है । विभाग के समस्त अधिकारी /कर्मचारी इसकी सहायता विगत वर्षों से अपने कार्यों में लेते आ रहे हैं । ये विभाग का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है ।

पालक शिक्षक संघ नियमावली :-

प्रदेश के प्रत्येक विद्यालय में पालक शिक्षक संघ का गठन किया गया है जिसका मुख्य उद्देश्य संस्था प्रमुख एवं अभिभावकों के बीच एक सूत्र स्थापित करना तथा विद्यालय के विकास कार्यों में अभिभावकों को अधिकाधिक रुचि लेने हेतु प्रोत्साहित करना है । पालक शिक्षक संघ की स्थापना , उसके कार्यकलाप तथा उसके अधिकार एवं कर्तव्यों के बारे में जानकारी देते हुये विभाग द्वारा एक पालक शिक्षक संघ नियमावली तैयार की गई है जो संघ को कार्य करने में बहुत सहायक है । इससे विद्यालयों के संचालन एवं उसके समाज से अच्छे संबंध बनाने में महत्वपूर्ण योगदान मिला है । जन शिक्षा अधिनियम में पालक शिक्षक संघ की स्थापना का उल्लेख किया गया है । उसी तारतम्य में इसकी स्थापना कार्यप्रणाली तथा कार्यों के बारे में विस्तृत नियमों का उल्लेख इस नियमावली में किया गया है ।

शैक्षणिक कलेण्डर-

प्रत्येक विद्यालय में शैक्षिक गतिविधियाँ एवं पाठ्येत्तर गतिविधियाँ नियमित रूपसे एवं निर्धारित समयावधि में संचालित हो ताकि शैक्षिक वातावरण एवं शिक्षा की गुणवत्ता को उन्नत किया जा सके , इस दृष्टि से विभाग द्वारा शैक्षिक कलेण्डर प्रतिवर्ष तैयार किया जाता है जिसे प्रत्येक विद्यालय में भेजा गया है । इस कलेण्डर के माध्यम से विद्यालयों के कार्यों में गति लाई जाती है । इस दृष्टि से यह विभाग का एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है ।

अध्याय-7
मैनुअल-6
बोर्ड ,परिषदों , समितियों एवं अन्य निकायों का विवरण

मध्यप्रदेश शीघ्र लेखन / मुद्रलेखन परीक्षा परिषद् :-

जैसे भी व्यक्ति शासकीय या अशासकीय कार्यालयों में स्टेनों ग्राफर , टाईपिस्ट या स्टेनों टाईपिस्ट की नौकरी चाहता है अथवा कार्यालयों में इस वर्ग के कर्मचारियों की आवश्यकता की माँग को देखते हुए राज्य शासन ने हिन्दी एवं अंग्रेजी मुद्रलेखन तथा शीघ्र लेखन की परीक्षा आयोजित कर उन्हें प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने के लिए लोक शिक्षण संचालनालय में शीघ्र लेखन/मुद्रलेखन परीक्षा परिषद् का गठन किया है। आयुक्त लोक शिक्षण इस परिषद् के अध्यक्ष तथा मंत्रालय के एक स्थापना अधिकारी, भाषा संचालनालय के प्रशिक्षण अधिकारी तथा शासकीय कार्यालयों में कार्य करने वाले तथा हिन्दी एवं अंग्रेजी शीघ्र लेखन का कार्य करने वाले एवं आयुक्त लोक शिक्षण द्वारा मनोनीत दो व्यक्ति परिषद् के सदस्य हैं । लोक शिक्षण संचालनालय के एक अधीक्षक इस परिषद् के सदस्य सचिव हैं । परिषद् वर्ष में 2 बार उपरोक्त परीक्षाएँ आयोजित करती है एवं परीक्षा में सफल व्यक्तियों को उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र जारी करती है । शासकीय सेवाओं में उपरोक्त पदों पर कार्य करने के लिए इस प्रमाण पत्र को शासनद्वारा मान्यता प्रदान की गई है। परिषद की बैठकों की कार्यवाही विवरण की जानकारी कोई भी नागरिक विधिवत आवेदन देकर प्राप्त कर सकता है ।

माध्यमिक शिक्षा मण्डल :-

माध्यमिक शिक्षा मण्डल म0प्र0 वर्तमान में मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम 1965 द्वारा शासित एक स्वायत्त शासी निगमित निकाय है जिसका संचालन उपरोक्त अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार होता है। मण्डल में 12 पदेन सदस्य, 10 राज्य शासन द्वारा निर्दिष्ट सदस्य तथा दो कुलाधिपति द्वारा नाम निर्दिष्ट सदस्य हैं तथा विभिन्न श्रेणि के कुल 1524 पद स्वीकृत हैं। मण्डल का मुख्य कार्य हाईस्कूल एवं हायर सैकेन्डरी परीक्षाओं का संचालन कक्षा 9 से 12 तक प्रस्तावित पाठ्यक्रम तैयार कराना और पाठ्यपुस्तकों के निर्माण हेतु शासन को सलाह देना , पत्राचार पाठ्यक्रम द्वारा शिक्षण कार्य प्रदेश के हाईस्कूल एवं हायर सैकेन्डरी परीक्षाओं के लिए मान्यता देना तथा प्रदेश में शिक्षा के स्तर को ऊँचा उठाने के लिए आवश्यक कदम उठाना है । मण्डल का मुख्यालय भोपाल में स्थित है , इसके अतिरिक्त एक ऑचलिक कार्यालय इन्दौर में तथा एक संभागीय कार्यालय उज्जैन, ग्वालियर, रीवा, जबलपुर, इन्दौर , सागर तथा भोपाल में स्थित हैं । मण्डल द्वारा 3 आदर्श उच्चतर माध्यमिक विद्यालय क्रमशः भोपाल,रीवा,तथा जाबरा (रतलाम) में भी संचालित किये जा रहे हैं ।

पाठ्य पुस्तक निगम :-

म0प्र0 पाठ्यपुस्तक निगम की स्थापना दिनांक 7.8.1968 को की गई है निगम का कार्य संचालन म0प्र0 पाठ्य पुस्तक निगम विनियम 1974 में निहित प्रावधानों के अनुसार होता है। निगम की स्थापना का मुख्य उद्देश्य शालेय स्तर के छात्र-छात्राओं के उच्च गुणवत्ता की पाठ्यपुस्तकों की कीमत पर उपलब्ध कराना है। निगम द्वारा एक समय वृद्ध कार्यक्रम के अनुसार पाठ्यपुस्तकों के सामयिक मुद्रण की व्यवस्था की जाती है तथा शिक्षा सत्र प्रारंभ होने के पूर्व मुद्रित पाठ्यपुस्तकों के वितरण समुचित व्यवस्था की जाती है। कक्षा 1-8 तक की पाठ्यपुस्तकों का लेखन आयुक्त राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा तथा 9 से 12 की पुस्तकों का लेखन माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा किया जाता है। राज्य शासन द्वारा इनके विहितीकरण के पश्चात प्रकाशन का कार्य निगम द्वारा किया जाता है। निगम द्वारा हिन्दी तथा अंग्रेजी भाषा के अतिरिक्त मराठी, तथा उर्दू माध्यम की पुस्तकें भी मुद्रित की जाती हैं। निगम द्वारा संभागीय एवं जिला मुख्यालयों पर स्थित 14 डिपोज के माध्यम से निगम पंजीकृत पुस्तक विक्रेताओं / शासकीय विक्रेताओं को निगम की पाठ्य पुस्तकों का विक्रय / प्रदाय किया जाता है।

राज्य ओपन स्कूल :-

मध्यप्रदेश में सबके लिए शिक्षा के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु वैकल्पिक शिक्षा व्यवस्था की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए वर्ष 1995 में म0प्र0राज्य ओपन स्कूल की स्थापना की गई है। इस संस्था का कार्यालय टी0बी0सी0 भवन माध्यमिक शिक्षा मण्डल परिसर शिवाजी नगर भोपाल में स्थित है। म0प्र0 राज्य ओपन स्कूल का मुख्य उद्देश्य शिक्षा से किसी भी रूप में बंचित वर्ग को शिक्षित करना है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रदेश में शिक्षा से बंचित वर्ग को कक्षा 10 वीं एवं 12 वीं में प्रवेश देकर व्यक्ति का सम्पर्क माध्यम से शिक्षा दी जाती है तथा इसके पश्चात वर्ष में 2 बार नवम्बर -दिसम्बर एवं मई-जून में परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं। छात्रों को 5 वर्ष के अन्तराल में परीक्षा उत्तीर्ण करने हेतु अधिकतम 9 अवसर प्रदान किये जाते हैं। छात्र अपनी योग्यता अनुसार न्यूनतम एक वर्ष में परीक्षा का एक अवसर लेकर भी कक्षा उत्तीर्ण कर सकता है। अन्य मान्यता प्राप्त मण्डलों/अन्य राज्य ओपन स्कूलों के अनुत्तीर्ण छात्रों को परीक्षा उत्तीर्ण करने की सुविधा म0प्र0 राज्य ओपन स्कूल में है। प्रदेश में कुल 206 अध्ययन केन्द्र इस कार्य हेतु विकसित किये हैं, जिन पर अध्ययन सामग्री की व्यवस्था की जाकर अध्ययन सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। म0प्र0 ओपन स्कूल में प्रवेश लेने वाले दृष्टिहीन छात्रों को परीक्षा के सामान्य समय के अतिरिक्त एक घंटा अधिक दिये जाने का प्रावधान लागू किया गया है।

मदरसा बोर्ड :-

म0प्र0 में मदरसा बोर्ड का गठन वर्ष 1994 में किया गया है। मदरसा बोर्ड का मुख्य उद्देश्य परम्परागत मदरसों को दीनी तालीम के साथ-साथ आधुनिक शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना है। मध्यप्रदेश मदरसा बोर्ड में अध्यक्ष एवं सचिव के अतिरिक्त 11 शासकीय सदस्य

तथा-8 नामांकित सदस्य हैं । इसके अतिरिक्त बोर्ड की नीति संबंधित मामलों , वित्तीय मामलों एवं बोर्ड कार्यों में सलाह देने के लिये एक सलाहकार समिति गठित है, जिसमें मुख्य मंत्री समिति के अध्यक्ष एवं प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा सदस्य सचिव के अतिरिक्त स्कूल शिक्षा विभाग , वित्त विभाग , अल्प संख्यक विभाग एवं आदिम जाति कल्याण विभाग के मंत्रीगण तथा वक्फ बोर्ड एवं अल्प संख्यक आयोग के अध्यक्ष इसके सदस्य हैं । बोर्ड के कार्यों में आवश्यक सुधार ,समीक्षा नियोजन तथा नियम निर्देश बनाने हेतु मान्यता समिति , परीक्षा समिति , वित्त समिति तथा पाठ्यक्रम समिति गठित की गई है । मदरसा बोर्ड के मुख्य कार्य निम्नानुसार है :-

- मदरसा शिक्षा को निर्देशित करना तथा उसका पर्यवेक्षण करना ।
- मदरसों को मान्यता देना ।
- विहित रीति से मदरसों की प्रबन्ध समितियों का गठन करना ।
- समितियों का गठन करना ।
- मदरसा शिक्षा की प्राथमरी एवंमिडिल स्तर के पाठ्यक्रम , विवरण विहित करना ।
- कक्षा-5और 8 की परीक्षाओं के संचालन की व्यवस्था करना तथा प्रमाण-पत्र प्रदान करना ।
- मदरसों के निरीक्षण के लिये कार्य विधि का विकास करना ।
- मदरसा शिक्षा के संबंध में केन्द्र और राज्यसरकारों की योजनाओं का क्रियान्वयन ।
- ऐसे अन्य कार्यों को करना जो राज्य शासन द्वारा समय समय पर सौंपे जावे ।

संस्कृत बोर्ड

प्रदेश में संस्कृत शिक्षा के उन्नयन , विकास , पाठशालाओं का आधुनिकीकरण ,संस्कृत आधारित साहित्य एवं सांस्कृतिक गतिविधियों के प्रोत्साहन तथा संस्कृत विकास की विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन , अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण हेतु मध्य प्रदेश संस्कृत में बोर्ड का गठन जनवरी 2001 में किया गया है । शिक्षा मंत्री संस्कृत शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष है तथा मंत्री उच्च शिक्षा एवं प्रमुख सचिव स्कूलशिक्षा, आदिमजाति कल्याण एवं उच्च शिक्षा विभाग तथा आयुक्त लोक शिक्षण , संचालक एस0सी0ई0आर0टी0तथा वित्त विभाग के उप सचिव इस बोर्ड के पदेन सदस्य है । इस के अतिरिक्त संस्कृत तथा इसका प्रचार प्रसार करने वाले 6 समाज सेवी , संस्कृत महाविद्यालय/विद्यालय के 3 प्राध्यापक /अध्यापक एवं राज्य शासन द्वारा नामित कोई अधिकारी इस के मनोनीत सदस्य है । बोर्ड के मुख्य कार्य निम्नानुसार है :-

- संस्कृत शिक्षकोंका प्रशिक्षण ।
- कालीदास समारोह का आयोजन ।
- कक्षा 9 से 12 तथा परम्परागत पाठ्यशालाओं में प्रथमा से मध्यमा तक संस्कृत छात्रबृत्ति का वितरण ।
- संस्कृत महोत्सव का आयोजन ।
- संस्कृत तथा वैदिक विद्वानों का सम्मान ।
- संस्कृत पुस्तकों का प्रकाश ।
- पुस्तकालयों को संस्कृत साहित्य से समृद्ध करना ।
- संस्कृत शिक्षकों के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु शासन को परामर्श देना ।
- उत्तर मध्यमा (12वीं) स्तर तक की संस्कृत परीक्षाओं का आयोजन/ संचालन तथा
- संस्कृत के विकास संबंधी संभावनाओं को ज्ञात कर शासन को सुझाव देना ।

राजीव गाँधी शिक्षा मिशन

राजीव गाँधी शिक्षा मिशन मध्यप्रदेश में प्रारंभिक शिक्षा के लक्ष्य को व्यापीकरण का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए गठित है। यह एक स्वायत्त और स्वतंत्र संस्था के रूप में वर्ष 1994 में स्थापित किया गया था। मिशन की नीति निर्देशक, मापदण्ड, साधारण सभा एवं कार्यकारिणी के स्तर पर तय होते हैं। मिशन की साधारण सभा के सभापति मुख्य मंत्री तथा उप सभापति स्कूल शिक्षा मंत्री तथा अनुसूचित जाति, जनजाति व पिछड़ावर्ग कल्याण विभाग के प्रभारी मंत्री होते हैं। मिशन की साधारण सभा में राज्य शासन द्वारा मनोनीत 30 अशासकीय सदस्यों एवं केन्द्र शासन द्वारा मनोनीत 8 अशासकीय सदस्यों का समावेश है। मिशन द्वारा बनाये गये नियमों, विनियमों और आदेशों के अधीन रहते हुए मिशन के कार्यों का संचालन कार्यकारिणी द्वारा किया जाता है। कार्यकारिणी के अध्यक्ष मुख्य सचिव, तथा उपाध्यक्ष स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव होते हैं। मिशन की कार्यकारिणी में राज्य द्वारा मनोनीत 8 अशासकीय सदस्यों एवं केन्द्र शासन द्वारा मनोनीत 3 सदस्यों का समावेश है। मिशन की गतिविधियों के क्रियान्वयन एवं अनुर्वेक्षण हेतु राज्य, जिला, विकास खण्ड, ग्राम एवं शाला स्तर पर समितियाँ गठित हैं। इन समितियों में शासकीय, अशासकीय जनप्रतिनिधियों का समावेश है। जिला प्राथमिक शिक्षा को क्रियान्वित करने के लिए प्रारम्भ में इस मिशन का गठन किया गया था। वर्तमान में इसके द्वारा सर्वशिक्षा अभियान कार्यक्रम का क्रियान्वयन किया जा रहा है।

अध्याय-8
मैनुअल-7
लोक सूचना अधिकारियों के नाम , पदनाम, एवं अन्य विशिष्टियाँ

स. क.	नाम	पदनाम	एस. टी.डी. कोड	दूरभाष		फैक्स	ई-मेल	पता	प्रथम अपीलीय अधिकारी
				कार्यालय	निवास				
	अ-लोक सूचना अधिकारी								
1-	डॉ०पी०एल०शर्मा	जिला शिक्षा अधिकारी	0751 -	2421242	2456060	-	-	ई-1 शिक्षानगर, तानेसन रोड ग्वालियर	मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत ग्वालियर
	ब- जिला लोक सूचना प्रभारी-								
2-	श्री व्ही०के० सक्सैना	सहायक संचालक	0751 -	2421242	2343976	-	-	185- मोहननगर ठाटीपुर ग्वालियर	मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत ग्वालियर
	स- सहायक लोक सूचना अधिकारी								
3-	श्री बी०पी० श्रीवास्तव	विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी मुरार	0751 -	-	-	-	-	आजाद नगर मुरार	जिला शिक्षा अधिकारी ग्वालियर
4-	श्री सीताराम दण्डौतिया	विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी डबरा	07524-	-	98262-96832	-	-	-	जिला शिक्षा अधिकारी ग्वालियर
5-	श्री एल०एस० त्यागी	विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी भितरवार	07525 -	287153	287429	-	-	-	जिला शिक्षा अधिकारी ग्वालियर
6-	श्री एस० के० चौधरी	विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी घाटीगाँव	0751	-	9425336768 5087892	-	-	-	जिला शिक्षा अधिकारी ग्वालियर
	विभागीय अपीलीय अधिकारी								
7-	श्री आर०के०मिश्रा	मुख्यकार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत ग्वालियर	0751 -	2446250	2446251	-	-	रेडकॉस रोड ग्वालियर	

अध्याय –9
मैनुअल– 8
निर्णय लेने की प्रक्रिया

जिला स्तर पर वरिष्ठ कार्यालय एवं अन्य कर्मचारियों/शिक्षकों तथा विद्यालयों से आने वाले पत्र निम्न माध्यमों से आते हैं।

- . पोस्ट आफिस डॉक द्वारा ।
- . कोरियर द्वारा ।
- . व्यक्तिगत स्तर पर विभिन्न अधिकारियों तथा कर्मचारियों के हस्ते।
- . वरिष्ठ कार्यालयों से ई0मेल0फैक्स द्वारा।
- . अन्य माध्यमों द्वारा।

उपरोक्त पत्र जिला शिक्षा अधिकारी, स्टेनो , मुख्यलिपिक या प्रभारी द्वारा चिन्हित किये जाकर आवक कक्ष को दिये जाते हैं। आवक कक्ष द्वारा पत्रों का आवक का आवक क्रमांक अंकित कर रजिस्टर में प्रविष्टी की जाती है। तत्पश्चात् सभी पत्र संबन्धित कक्ष धारकों को आवश्यक कार्यवाही हेतु दिये जाते हैं।

कक्ष धारक संबन्धित पत्र की नस्ती तैयार करता है,जिसमें पत्र से संबंधित समस्त जानकारीयों नियमों तथा वांछित कार्यवाही का प्रस्ताव होता है।

यह नस्ती कक्ष प्रभारी ओ0आई0सी0द्वारा आवश्यक तथा स्पष्ट टीप लिखकर जिला शिक्षा अधिकारी को प्रस्तुत की जाती है। जिला शिक्षा अधिकारी इन नस्तियों पर निम्नानुसार निर्णय लेते हैं:—

- अ. जिला शिक्षा अधिकारी स्तर पर स्वयं नस्ती पर आदेश देकर कार्यवाही हेतु कक्ष धारक को भेज दी जाती है।
- ब. जिन पत्रों में मुख्यकार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, आयुक्त नगर निगम एवं कलेक्टर महोदय का अनुमोदन/स्वीकृति आवश्यक होती है, इन पर जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा स्वयं का अभिमत देकर संबन्धित से अनुमोदन प्राप्त कर कार्यवाही की जाती है।
- स. जो पत्र लोकशिक्षण संचालनालय से संबन्धित होते हैं उन्हें आवश्यक टीप के साथ विभिन्न माध्यमों से आयुक्त लोकशिक्षण भोपाल की ओर भेज दिया जाता है। आवश्यकता होने पर संचालनालय से स्वीकृति/अनुमोदन भी लिया जाता है।
- द. जो पत्र माननीय न्यायालय, शासन स्तर या आयोग स्तर से प्राप्त होते हैं उनका उत्तर तदनुसार प्रेषित किया जाता है। उस पर निर्देशानुसार कार्यवाही की जाती है।

अध्याय-10
(मैनुअल-9)
अधिकारियों तथा कर्मचारियों की निर्देशिका

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी जिला ग्वालियर

स.क्र.	नाम अधिकारी / कर्मचारी	प्रभार	निवास का पता	कार्यालय का दूरभाष	निवास का दूरभाष	मोबाईल नम्बर
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	डॉ.पी.एल.शर्मा	जिला शिक्षा अधिकारी	शिक्षानगर ग्वालियर	2421242	2456060	94251-12540
2.	श्री व्ही.के.सक्सेना	सहा.संचालक शिक्षा	मोहन नगर ठाठीपुर	2421242	2343976	98265-81878
3.	श्री के.के.द्विवेदी	सहा.संचालक विधि प्रकोष्ठ	नौगजा रोड शिन्दे की छावनी लश्कर	2421242	2420164	94251-21779
4.	श्री के.एम.त्रिपाठी	सहा.संचालक विधि प्रकोष्ठ	10-न्यू विवेकानन्द कॉलोनी विश्व विद्यालय रोड ग्वा0	2421242	2342822	98277-53479
5.	श्रीमती ममता चतुर्वेदी	सहा.संचालक विधि प्रकोष्ठ	गोविन्दपुरी ठाठीपुर	2421242	2341072	98274-41401
6.	श्रीश्यामाचरण शर्मा	योजना अधिकारी	बालाबाई का बाजार लश्कर	2421242	2428321	98262-61377
7.	श्रीसीताराम कुशवाह	लेखा अधिकारी	सिकन्दर कम्पू लश्कर	2421242		98260-86020
8.	श्री के.जी.शुक्ला	लेखा अधिकारी	सुरेश नगर ठाठीपुर	2421242	5082633	94251-12283
9.	श्री ए.के.पाटक	व्याख्याताविधिप्रकोष्ठ	ठाठीपुर कृष्णा अपार्टमेन्ट	2421242	2230293	98273-99883
10.	श्री सुरेश चित्रांशी	व्याख्याताविधिप्रकोष्ठ	ऋषि नगर गंजीबाला मोहल्ला के पास लक्कडखाना	2421242	2429151 (पी.पी.)	
11.	श्री हरिभुवन सिंह तोमर	व्याख्याता विधि प्रकोष्ठ	पार्कहोटल ग्वालियर	2421242	5012333	
12.	श्रीमती कादम्बरी आर्य	व्याख्याता विधि प्रकोष्ठ	निम्बालकर कीगोटग्वालियर	2421242	2324543	98263-50444
13.	श्री होतम सिंह कुशवाह	क्रीडा अधिकारी	गंजीबाला मोहल्ला लक्कडखाना ग्वालियर	2421242		93011-21612
14.	श्री आई0ए0जैदी	प्रभारी ईकोक्लब एवं अल्प	शारदाविहार सिटी	2421242		94253-60340

		संख्यक प्रकोष्ठ	सेंटर ग्वालियर ग्वालियर			
15.	श्री ओ०पी०जैन	परीक्षा प्रभारी	फालका बाजार हनुमान मौहल्ला	2421242		98272-77318
16.	श्री आर०सी०अरोरा	वरिष्ठ निज सहायक	नौमहला घासकीमण्डी	2421242	2480197	
17.	श्री डी.पी.भूरानी	निज सहायक	मैट्टो होटल बाली गली गणेश बाजार लशकर	2421242	2427666	94251-22261
18.	श्री एस.एस.भदौरिया	मुख्यलिपिक	सोडाका कुआँ ग्वा०	2421242	2364031	
19.	श्री राधेलाल शर्मा	स्था.-1	जवाहर कालोनी लशकर	2421242	2325914	
20.	श्री आनन्द सिंह सेंगर	स्था-2 / ग्रामीण भविष्य निधि	दर्पण कॉलोनी मुरार	2421242	2344551	94251-12700
21.	श्री आशाराम पुरैया	स्था.-3	प्रगतिनगर लाईन न. 1की पीछे ग्वा०	2421242	2368869	
22.	श्री आलोक गौड	स्था.4	ठाठीपुर मुरार	2421242	2344588	98272-25033
23.	श्री वी.के.तिवारी	विधान सभा	प्रगतिनगर रेशम मिल ग्वा.	2421242	2359938	98265-40244
24.	श्री आशाराम भदकारिया	बजट	16.ए.रामनुज नगर गोविन्दपुरी के पास	2421242	2235076	
25.	श्री विनोद शर्मा	लेखा	सी.688 आनन्दनगर ग्वा.	2421242	2497260	
26.	श्री रमेश चन्द्र पाठक	परीक्षा	110-ललितपुर कॉलोनी लशकर	2421242	2421594	
27.	श्री सुरेशकुमार शर्मा	अनुदान-3	कोटेश्वर मंदिर के पास ग्वा०	2421242	2480694	98263-44063
28.	श्री पी.एल.गुप्ता	अनुदान-1	जीवाजीगंज लशकर	2421242	2432596	
29.	श्री योगेन्द्र मिश्रा	अनुदान-2	शिक्षानगर ग्वा.	2421242	2336925	98263-21901
30.	श्री आर.एस.भारद्वाज	मान्यता	सीतामेनोर होटल के पीछे	2421242	5001713	94251-12542
31.	श्री तुलसीदास ठाकुर	सॉख्यकी / योजना	जीवाजीगंज	2421242	5078429	
32.	श्रीमती हेमलता डेंगरे	समेकित शिक्षा	लक्ष्मीपुरम के-42	2421242	2497444	
33.	श्रीमती प्रियालीदेवगॉवकर	प्रशिक्षण / भवन	जी-80 माधवनगर	2421242	2329876	
34.	श्री महेश लोहिया	सामान्य	जी-55 माधवनगर	2421242	2432468	
35.	श्री ओ.पी.उपमन्यू	शिकायत	दानाओली लशकर	2421242	2623894	
36.	श्रीमती प्रतिमा तौमर	वरिष्ठ कार्यालय आवक	हरिशंकरपुरम सुन्दरम अपार्टमेन्ट	2421242	2432110	
37.	श्री एस.के.मिश्रा	सामान्य आवक	एम.10 ठाठीपुर	2421242	5533970	
38.	कु.माया परते	जावक	शास्त्रीनगर ग्वा.	2421242	2344988	
39.	श्री आर.एम.चतुर्वेदी	छात्रवृत्ति / संस्कृत प्रकोष्ठ	सी.पी.कॉलोनी	2421242	2366148	
40.	श्री पी.सी.राठौर	पेंशन	कुम्हरपुरा मुरार	2421242	5533692	

41	श्री रामदास प्रजापति	भविष्य निधि/भण्डार	ललितपुरकॉलोनी 197	2421242	2329197	
42.	श्रीयदुनन्दन श्रीवास्तव	<u>ऑडिट/विधिप्रकोष्ठ</u>	प्रीतमबिहार कॉलोनी	2421242	2342687	
43.	श्री संजीव द्विवेदी	विधि प्रकोष्ठ	बलबन्त नगर ग्वालियर	2421242	2230020	
44.	श्री जे.के.भटियानी	विधि प्रकोष्ठ	बी.9 समाधिया कॉलोनी तारागंज	2421242		98263-49644
45.	श्री कैलाश अष्ट्या	सहायक स्था.3	इन्द्रानगर ग्वा.	2421242	5054054	
46.	श्री अमरीश गुप्ता	विधि कक्ष		2421242		94253-37798
47.	श्री अमरसिंह दोहरे	मान्यता कक्ष	नाकाचन्द्रवदनीलशकर	2421242		98261-10086
48.	श्री महेश शर्मा	कम्प्यूटर कक्ष	लोहामण्डी ग्वालियर	2421242		98265-11274

प्राचार्य के नाम एवं दूरभाष क्रमांक (उ०मा०वि०)

स. क्रं.	नाम विद्यालय	जनपद	नाम प्राचार्य	दूरभाष विद्यालय	दूरभाष निवास	मोबाईल
1	2	3	4	5	6	7
1.	जीवाजीराव	मुरार	श्री दीपक पाण्डे	2335641	2333394	94254-72074
2.	जनकगंज	मुरार	श्री डी.आर. ज्ञानानी	2636491	2452550	98273-55300
3.	गोरखी	मुरार	श्री आर.के. उपाध्याय	2332878	2477019	94253-38024 सुधीरदुबे व्याख्याता
4.	पागनवीसी	मुरार	श्री जी.डी. सक्सेना	2632334	2638037	
5.	टकसाल	मुरार	श्रीएस.एस.गुप्ता	2329179	5075413	
6.	हरिदर्शन	मुरार	श्री एम.एस. जादौन	2323257	5086381	
7.	शिक्षानगर	मुरार	श्री पी.के.बैनर्जी	2421506	2333208	98273-98858 93011-16606
8.	पटेल	मुरार	श्री हरीओम चतुर्वेदी	2365484	2340196	
9.	मुरार क्रं-1	मुरार	श्री यू.यू.भिडे	2368760	2230798	94251-22313
10.	मुरार क्रं.-2	मुरार	श्री एम.एल. थरेजा	2368034		98272-91124 94251-17634 श्री सीताराम जखेनिया लिपिक
11.	क०हिन्दीविद्यापीठ	मुरार	श्री आर.सी.गुप्ता	2430616		
12.	क०शिन्देकीछावनी	मुरार	श्रीमती सुशीला शर्मा		2421856	9827071354 श्री रघुवंशी
13.	क०गजराराजा	मुरार	श्रीमती अहिंसा श्रीवास्तव	2420171	2462266	9425338347 श्री डोंगरे

14.	क0पद्मा	मुरार	श्रीमती मिथलेश मिश्रा	2326177	2425185	2433025 श्री प्रकाश गणक
15.	क0मामाकाबाजार	मुरार	श्री पी.एन.शर्मा	2334144		
16.	क0रेल्वेकॉलोनी	मुरार	श्रीमती उषा गुप्ता	2334566	2326174	
17.	क0एम.एल.बी.मुरार	मुरार	श्रीमती स्नेहलता तायल	2466048	2345374	93011-28186 श्री पवैया 2345247
18.	क0 ग्वालियर	मुरार	श्रीमती मंजू त्रिपाठी	2365116		
19.	क0ठाठीपुर	मुरार	श्रीमती रेखा बाथम	2341309	2341261	91251-2231 श्री अश्विनी परमार
20.	बेंहट	मुरार	श्री एस.के. चतुर्वेदी		2341572	
21.	उटीला	मुरार	श्रीराजपालसिंह जादौन		5061955 ग्वालियर	98931-78300 2342779 श्री राकेश शर्मा
22.	हस्तिनापुर	मुरार	श्री वी.पी. श्रीवास्तव			
23.	मोहना	घाटीगॉव	श्रीमती रत्ना रैना			
24.	पनिहार	घाटीगॉव	श्री एस.सी.शर्मा			94251-18586
25.	रेंहट	घाटीगॉव	श्रीएस.डी.शुक्ला			
26.	घाटीगॉव	घाटीगॉव	श्रीमतीपुष्पाढोडी			0751 2459162
27.	बा0डबरा	डबरा	श्री एस.सी. अग्रवाल	222808	223352	
28.	क0डबरा	डबरा	श्री जी.एस. अग्रवाल	226555		
29.	जबाहर बिलौआ	डबरा	श्री ए.एन.दीक्षित			
30.	क0पिछोर	डबरा	श्री ए.के. माण्डिल्य		2334038	
31.	बा0पिछोर	डबरा	श्री ए.व्ही. कविश्वर			
32.	भितरवार	भितरवार	श्री रामनारायण दुबे		287480	
33.	करहिया	भितरवार	श्री सुधीर सिंह			
34.	चीनौर	भितरवार	श्रीमती सरिता मिश्रा			
35.	क0ऑतरी	भितरवार	श्री गंगाराम शर्मा		2234021	

(हाईस्कूल)

स. 'कं.	नाम विद्यालय	जनपद	नाम प्राचार्य	दूरभाष विद्यालय	दूरभाष निवास	मोबाईल
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	सिंध	मुरार	श्री आर.के.शर्मा	2427537	2453590	
2.	सराफा	मुरार	श्री अरुण चौवे		2327236	98273-87355
3.	इंजिनियरिंग	मुरार	श्री नरेन्द्र उपाध्याय			
4.	फोर्ट ग्वा0	मुरार	श्री जे.सी. प्रजापति		2331108	
5.	बा0ठाठीपुर	मुरार	श्री आर.के. शुक्ला			
6.	बहादुरपुर	मुरार	श्रीमती नीलम शाक्य			
7.	हिन्दीहुजराज	मुरार	श्री ए.आर. पाठक		2330293	
8.	डबका	मुरार	श्री एस.डी. श्रीवास्तव			
9.	सौसा	मुरार	श्री आर.एन. सिंह			
10.	सिरसौद	मुरार	श्री के.ए.जैदी			
11.	सुपावली	मुरार	श्री रामस्वरूप याज्ञिक			
12.	पुरानीछावनी	घाटीगाँव	श्री धारकर			
13.	पाटई	घाटीगाँव				
14.	कुलैथ	घाटीगाँव	श्रीमती मीरा बाथम			
15.	निरावली	घाटीगाँव	श्री व्ही.डी. श्रीवास्तव			
16.	पारि	घाटीगाँव	श्री करणसिंह राणा			
17.	बरई	घाटीगाँव	श्री हरचरण सिंह रावत			
18.	दौरार	घाटीगाँव	श्री आर.डी. मिश्रा			
19.	बरौआ	घाटीगाँव	श्री आर.आर. सिकरवार	268458		98262-43277 श्री कमल शर्मा प्रयोग शा0 सहा0
20.	सिमरिया	घाटीगाँव	श्री के.तिवारी			
21.	मेंहगाँव	डबरा	श्री ओमप्रकाश			

22.	बरौठा	डबरा	श्री नन्दराम			
23.	डबरा कं.2	डबरा	श्री रामहेत माथुर			
24.	करियावटी	भितरवार	श्रीमती साधना गुप्ता			
25.	शुक्लहारी		श्री रावत			
26.	अकबई बडी	भितरवार	श्री सरमनलाल राजे			
27.	कैरूआ	भितरवार	श्री कमलकिशोर पाठक			
28.	सिंघारन	भितरवार	श्री एस.पी.सिंह			
29.	बनबार	भितरवार	श्री जगमोहन शाक्यवार			
30.	कछौआ	भितरवार	श्री जशराम			
31.	साँखनी	भितरवार	श्री देवेन्द्र राजौरिया			
32.	डोगरपुर	भितरवार	श्री सूरज कुमार			
33.	अमरौल	भितरवार	श्री शशिकॉत पाण्डे			

अध्याय-11
(मैनुअल-10)
जिला अन्तर्गत विभाग में कार्यरत सभी अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक एवं उसके निर्धारण की पद्धति

(जिला स्तर)

स.क्रं.	पदनाम	स्वीकृत वेतनमान
1.	जिला शिक्षा अधिकारी	10,000-15,200
2.	सहायक संचालक	8,000-13,500
3.	क्रीडा अधिकारी	5500-9,000
4.	योजना अधिकारी	5500-9,000
5.	सहायक सॉख्यकीय अधिकारी	5500-9,000
6.	अधीक्षक	4500-7,000
7.	लेखापाल	4500-7,000 प्रशिक्षित 4,000-6,000 अप्रशिक्षित
8.	वरिष्ठलेखापरीक्षक	4500-7,000
9.	कनिष्ठ लेखा परीक्षक	4,000-6,000
10.	सहायक ग्रेड-1	4500-7,000
11.	सहायक ग्रेड-2	4000-6,000
12.	सहायक ग्रेड-3	3050-4950
13.	वाहन चालक	3050-4950
14.	भृत्य	2550-3200

(विकास खण्ड स्तर)

स.क्रं.	पदनाम	स्वीकृत वेतनमान
1	2	3
1.	विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी	6500-10,500
2.	अधीक्षक	4500-7,000
3.	सहायक ग्रेड-2	4000-6,000
4.	सहायक ग्रेड-3	3050-4950
5.	भृत्य	2550-3200

(विद्यालय स्तर)

स.क्र.	पदनाम	स्वीकृत वेतनमान
1	2	3
1.	प्राचार्य उ०मा०वि०	8000-13,500
2.	उप प्राचार्य	6500-10,500
3.	प्राचार्य हाईस्कूल	6500-10,500
4.	व्याख्याता	5500-9,000
5.	शिक्षक	5,000-8,000
6.	सहाक्य शिक्षक	4,000-6,000
7.	शिक्षा कर्मी वर्ग-1	1200-2,000
8.	शिक्षा कर्मी वर्ग-2	1,000-1600
9.	शिक्षा कर्मी वर्ग-3	800-1200
10.	संविदा शिक्षक वर्ग-1	4500
11.	संविदा शिक्षक वर्ग-2	3,500
12.	संविदा शिक्षक वर्ग-3	2,500

अध्याय-12
(मैनुअल-11)
प्रत्येक अभिकरण को आवन्तित बजट

स. क्र.	मॉग संख्या	मुख्यशीर्ष	योजना कोड	सिग्मेंट	योजना का नाम	प्राप्त आवंटन	व्यय
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	27	2202	1500	9999	जिला शिक्षा अधिकारी	46104000	2710666
2.	95	2202	0581	9999	व्याख्याता	120,720	51619
3.	27	2202	9948	9999	प्राथमिक शाला का अनुदान	150,00000	5124974
4.	27	2202	3491	9999	माध्यमिक शालाओं का अनुदान	7124000	21,0000
5.	27	2202	3491	9999	सेकेन्द्री एज्युकेशन	11,96,8000	425,4008
6.	27	2202	3930	9999	विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी स्तर	2264000	115758
7.	27	2202	3491	9999	शासकीय मा0वि0शिक्षा आयोजनेत्तर	86265000	77786659
8.	27	2202	4396	9999	प्राथमिक शिक्षा आयोजनेत्तर	171369000	113183508
9.	95	2202	0581	9999	शासकीय उ0मा0वि0आयोजनेत्तर	76608000	56076029
10.	95	2202	0581	0101	शासकीय उ0मा0वि0 आयोजना	13440000	7606490
11.	95	2202	4193	9999	10+2 शिक्षा प्रणाली का व्यवसायीकरण 701 आयोजनेत्तर	4443000	3876210
12.	95	2202	4193	0101	शासकीय उ0मा0वि0 101 आयोजना	3243000	1649690
13.	95	2205	4395	9999	केन्द्रीय पुस्तकालय आयोजनेत्तर	1226000	684996
14.	95	2202	0581	9999	संस्कृत विद्यालय	917000	738501

					राजकीय हिन्दी विद्यापीठ आयोजनेत्तर		
15.	64	2202	578	0103	हाईस्कूल फोर्ट ग्वा0	251000	139640
16.	95	2204	3746	9999	एन.डी.एस.आई. आयोजनेत्तर	1325000	388078
17.	80	2202	8403	9999	शिक्षा कर्मियों के लिये अनुदान आयोजनेत्तर	30875292	15041286
18.	80	2202	8403	9999	शिक्षा कर्मियों के लिये अनुदान आयोजना	1917032	958516
19.	81	2202	2669	9999	स्थानिय निकायों को पोषण अनुदान शिक्षाकर्मियों का वेतन आयोजनेत्तर	6082560	4561920
20.	81	2202	2669	0101	शिक्षाकर्मियों का अनुदान आयोजना	1237876	1096268
21.	15	2202	3496	0103	माध्यमिक विभाग के शिक्षाकर्मियों का अनुदान आयोजना	8255040	6791280
22.	15	2202	4398	0103	प्राथमिक शालाओं को अनुदान शिक्षाकर्मी आयोजना	1260,0000	1071000
23.	95	2202	0801	42	संस्कृत छात्रवृत्ति	2,74,000	
24.	41	2202	2992	004	अनुसूचित जन जाति के छात्र-छात्राओं को निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें प्रदाय कक्षा 9 से 12 तक	13,925	13,925
25.	64	2202	0103	2992	अनुसूचित जाति के छात्र-छात्राओं को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें प्रदाय की गई है। कक्षा 9 से 12 तक	429925	429925

अध्याय-13
(मैनुअल-12)
अनुदान/ राज सहायता कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की रीति।

12. रियायती कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की पद्धति तथा ऐसे कार्यक्रमों पर व्यय की राशि एवं लाभान्वितों की जानकारी :- विभाग में ऐसे कोई कार्यक्रम संचालित नहीं हैं। अतः जानकारी निरंक है।

अध्याय-14
(मैनुअल-13)
रियायतों अनुबन्ध पत्रों तथा प्राधिकारों के प्राप्तिकर्ताओं के संबन्ध में विवरण

13. विभाग में यदि कोई रियायत देने वाले कार्य परिमित या अधिकार किसी को जारी किये हों तो उन्हें लाभान्वितों का विवरण :- विभाग में ऐसे कोई कार्य संचालित नहीं हैं। अतः जानकारी निरंक है।

अध्याय -15
(मैनुअल-14)
कृत्यों के निर्वहन हेतु मानक/नियम

- 15.1 जिलान्तर्गत स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा विभिन्न क्रियाकलापों/ कार्यक्रमों पर शिक्षा संहिता तथा वरिष्ठ कार्यालयों से प्राप्त नियमों एवं निर्देशों के अनुसार कार्य किया जाता है। कतिपय

कार्यक्रमों की जैसे मोगली उत्सव के कार्यक्रम वरिष्ठ कार्यालय से प्राप्त होते हैं। आवश्यकता पडने पर वरिष्ठ कार्यालयों से मार्गदर्शन प्राप्त कर कार्यवाही की जाती है।

अध्याय –16
(मैनुअल-15)
इलेक्ट्रॉनिक रूप से उपलब्ध सूचनायें

14. विभाग के पास उपलब्ध तथा एकत्रित की जा रही जानकारियों जो कि इलेक्ट्रॉनिक तकनीक में न्यूनीकृत की गई हो :-

मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत शासन द्वारा शिक्षा संबंधी जानकारी एकत्र करने के लिये कुछ प्रपत्र निर्धारित किये गये हैं। इन प्रपत्रों में प्रति वर्ष 30 सितम्बर की स्थिति में जानकारी एकत्र कर भारत शासन को भेजी जाती है। जानकारी में शिक्षण संस्थाओं की व्यवस्थावार संख्या उनमें कार्यरत शिक्षक संस्थाओं में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं की संख्या अध्ययनरत छात्राओं अनुसूचित जनजाति के बालक-बालिकाओं की संख्या, शिक्षा पर होने वाले व्यय की जानकारी तथा विभिन्न स्तरों पर होने वाली परीक्षाओं के परिणाम की जानकारी सम्मिलित रहती है। समस्त शासकीय/अशासकीय संस्थाओं से यह जानकारी एकत्रित की जाती है और भारत शासन को भेजी जाती है। इस जानकारी में से कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जो प्रशासनिक कार्यों में आवश्यक होती है अलग से पुस्तिका के रूप में प्रकाशित की जाती है।

उपरोक्त जानकारी के अतिरिक्त विभाग द्वारा संचालनालय स्तर से सीधी भर्ती के पदों को भरने के संबंध में की जा रही समस्त कार्यवाही भी कम्प्यूटर की सहायता से सम्पन्न की जाती है। उदाहरण के लिये वर्ष 1998 से व्यावसायिक शिक्षा के व्याख्याताओं को भरने संबंधि समस्त जानकारी कम्प्यूटर पर उपलब्ध है। इसी प्रकार सहायक सॉख्यकीय अधिकारियों के चयन संबंधी जानकारी में भी कम्प्यूटर का उपयोग किया गया था।

विभाग द्वारा विभिन्न पदों की पदक्रम सूचियाँ जैसे अपर संचालक, संयुक्त संचालक, उपसंचालक, सहायक संचालक, प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, प्राचार्य हाईस्कूल, पब्लिक व्याख्याता, व्याख्याता व्यवसाय शिक्षा, प्रधानाध्यापक, शिक्षक, क्रीडा निरीक्षक, लेखा अधिकारी, सहायक सॉख्यकीय अधिकारी, ग्रथपाल की पदक्रम सूचियाँ शासन एवं संचालनालय स्तर पर कम्प्यूटरीकृत कराई गई हैं। सहायक शिक्षकों की पदक्रम सूचियाँ जिला स्तर पर कम्प्यूटरीकृत की गई है।

स्कूल शिक्षा विभाग में संचालित विभिन्न कार्यक्रमों तथा विभाग के संगठन संबंधित सम्पूर्ण जानकारी की बेबसाईट भी तैयार की गई है। जिसे समय-समय पर अद्यतन किया जाता है।

मन्त्रालय लोकशिक्षण संचालनालय तथा जिलास्तर पर कम्प्यूटर की सुविधा उपलब्ध है। विभिन्न स्तरों से सूचना के आदान प्रदान में कम्प्यूटरों का योगदान महत्वपूर्ण सिद्ध हो रहा है। इससे समय और धन की बचत होती है। प्रत्येक स्तर पर जब भी कक्षाओं द्वारा जानकारी प्रशासनिक कार्यों के लिये प्राप्त की जाती है तब भी कम्प्यूटरों का उपयोग किया जाता है और जानकारी संग्रह की जाती है जिसका आवश्यकता के अनुसार उपयोग किया जाता है। इस प्रकार विभाग में कम्प्यूटरों का उपयोग वडे पैमाने पर किया जा रहा है जिससे विभाग की क्षमता तथा कार्यप्रणाली में बृद्धि हुई है।

अध्याय— 17
मेनुअल –16
सूचना प्राप्त करने के लिये नागरिक को उपलब्ध सुविधाओं का विवरण

कोई नागरिक विभाग के संबंध में या विभाग की किसी योजना के संबंध में आसानी से जानकारी प्राप्त कर सके और उसे इस कार्य में कठिनाई न आवे इस दृष्टि से विभाग के प्रत्येक कार्यालय के बाहर सूचना का अधिकार एवं सिटीजन चार्टर नाम से बोर्ड लगाये गये हैं जिसमें विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी अंकित रहती है तथा ये भी अंकित रहता है कि कोई भी नागरिक इन योजनाओं के संबंध में कोई भी जानकारी आवेदन कर प्राप्त कर सकता है। साथ ही यह भी अंकित रहता है, कि जानकारी कितने दिनों में प्राप्त की जा सकती है ताकि नागरिक को इस कार्य के लिये अपना समय अनावश्यक रूप से वर्दान करना पड़े। इस प्रकार नागरिकों को ये सुविधा विभाग के प्रत्येक कार्यालय/संस्था में उपलब्ध कराई गई है और नागरिक जन इसका लाभ उठाकर जानकारी प्राप्त करते हैं।

ज्ञान योजना के अन्तर्गत जिला क्षेत्रिय पुस्तकालयों में कम्प्यूटर कक्षों की स्थापना कर कम्प्यूटर उपलब्ध कराये गये हैं , जिन्हे इन्टरनेट से भी संबद्ध किया गया है। इनके द्वारा भी नागरिकों को सूचना प्रदान की जाती है तथा प्रशिक्षण दिया जाता है।

अध्याय-18
मैनुअल-17
 अन्य जानकारियों जिन्हे विभाग द्वारा दिया जाना सुनिश्चित किया जाये
 तथा उनके पश्चात् इन प्रकाशनों को अद्यतन किया जाये

निशुल्क:पुस्तक वितरण योजना :-

प्राथमिक तथा माध्यमिक स्तर पर बालक/बालिकाओं विशेष रूप से अनुसूचित जाति , जनजाति ,पिछडा वर्ग एवं गरीब परिवार के बच्चों को स्कूल आने को प्रोत्साहित करने के लिये नि:शुल्क पाठ्य पुस्तकें वितरित की जाती हैं,जिला ग्वालियर में वर्ष 2005-2006 में नि:शुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण की स्थिति निम्नानुसार है :-

वितरित सेट्स

क्रमांक	कक्षा	अनु.जाति	अनु. जनजाति	पिछडा वर्ग	सामान्य	योग
1	2	3	4	5	6	7
1.	कक्षा-1 से 5तक	30591	4830	93382	32200	161003
2.	कक्षा-6से 8तक	6563	1036	20034	6908	34541
	योग :-	37154	5866	113416	39108	195544

बुक बैंक योजना :-

कक्षा 9 से 12 तक अध्ययनरत सभी अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति के छात्र/छात्राओं को बुकबैंक योजना के माध्यम से पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराई जाती हैं वर्ष 2004-2005 में इस कार्य के लिये जिला ग्वालियर में बुकबैंक योजना अन्तर्गत कक्षा 9 ,10,11,12 में अध्ययनरत अनुसूचित जाति /जनजाति के छात्र छात्राओं को पुस्तकें वितरित की जा चुकी है।

क्रमांक	जाति	कक्षा-9	कक्षा-10	कक्षा-11	कक्षा-12	योग
1	2	3	4	5	6	7
1	अनु.जाति	1887	1636	798	885	5206

2	अनु.जन. जाति	37	57	26	12	132
	योग :-	1924	1693	824	897	5388

गणवेश प्रदाय योजना :-

प्रायमरी तथा मिडिल स्तर की कक्षाओं में अध्ययनरत अनुसूचित जाति , जनजाति तथा अन्य पिछडा वर्ग की बालिकाओं को निःशुल्क गणवेश प्रदान किया जाता है इस कार्यक्रम का उद्देश्य बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना है ताकि अधिक से अधिक छात्राएँ शाला में आ सकें। वर्ष 2005-2006 में जिला ग्वालियर में प्रायमरी एवं मिडिल स्कूलों में कक्षा 1 से 8 तक अध्ययनरत छात्राओं को निःशुल्क गणवेश वितरित की गई है।

क्रमांक	कक्षा	अनु.जाति	अनु.जनजाति	पिछडा वर्ग	योग
1	2	3	4	5	6
1.	कक्षा 1 से 8 तक	17583	2776	53674	74033
	योग :-	17583	2776	53674	74033

बालिकाओं के लिये साईकिल योजना :-

प्रदेश में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु मध्यप्रदेश शासन ने बालिकाओं को निःशुल्क साईकिल प्रदाय की योजना सत्र 2004-2005 से प्रारम्भ की है। इस योजनान्तर्गत ग्रामीण की अनुसूचित जाति ,अनुसूचित जन जाति ,पिछडा वर्ग, सामान्य वर्ग की गरीबी रेखा से नीचे की कक्षा 9 में लेने वाली वह छात्रायें जो अन्य ग्राम से शाला में पढने आती हैं। सत्र 2004-2005 में जिला ग्वालियर के सभी विकास खण्डों में अनुसूचित जाति की 89 छात्राओं ,अनुसूचित जन जाति की 06 छात्राओं को तथा गरीबी रेखा से नीचे की पिछडा वर्ग की 26 छात्राओं तथा सामान्य वर्ग की 04 छात्राओं को निःशुल्क साईकिल वितरित की गई है।

' केन्द्रीय योजनायें :-

विकलॉग बच्चों की समेकित शिक्षा योजना :-

जिला शिक्षा अधिकारी ग्वालियर के अन्तर्गत संचालित समेकित शिक्षा योजनान्तर्गत विकलॉग छात्र-छात्राओं को उनकी विकलॉगता एवं मूल्यांकन के आधार पर मूल्यांकित छात्र-छात्राओं को विभिन्न प्रकार के उपकरण एवं शिक्षण सामग्री आदि का वितरण किया जाता है। वर्ष 2004-2005 एव वर्ष 2005-2006 हेतु वितरण की स्थिति निम्नानुसार रही है।

वर्ष 2004-2005 (उपकरण)

विकलॉगता का प्रकार

विकासखण्ड

उपकरण / संख्या

चश्मा

छडी

दृष्टि विकलॉग	मुरार	83	83
	भितरवार	05	05
	डबरा	05	05
	घाटीगॉव	0	0
अस्थिविकलॉग		बैसाखी	ट्राईसिकल
	मुरार	09	0
	भितरवार	15	10
	डबरा	02	0
	घाटीगॉव	04	01
श्रवण विकलॉग		बैसाखी	ट्राईसिकल
	मुरार	09	0
	भितरवार	15	10
	डबरा	02	0
	घाटीगॉव	04	01

शिक्षण सामग्री— वर्ष 2004—2005

छात्रों को वितरित शिक्षण सामग्री ब्लॉकवार निम्नानुसार है:—

मुरार	139
भितरवार	445
डबरा	45
घाटीगॉव	65

योग :-	302

प्रतिछात्र वितरित शिक्षण सामग्री निम्नानुसार है:—

कॉपी 240 पेज— 6 नग, कॉपी 192 पेज— 8 नग, रजिस्टर 2 दस्ता — 01 नग, रफ कॉपी 240 पेज — 04 नग, कम्पास वॉक्स —01 नग, पेन्सिल स्टेन्डर्ड — 30 नग, रबर — 3 नग , वॉल पेन—02 नग, कलर पेन्सिल सैट— 01 पैकिट , रूमाल — 01 नग , यूनीफार्म— 01 सैट, स्कूल बैग— 01 नग , स्केल—01 नग,

वर्ष 2005—2006

वर्ष 2005—2006 में सामग्री संस्थावार शिक्षक पालक संघ के माध्यम से क्रय की जाकर उन्ही के माध्यम से वितरित की जानी थी । अतः संकुलों को निम्नानुसार विभिन्न राशियों के चैक वितरित किये गये ।

मुरार

13

भितरवार	08
डबरा	05
घाटीगॉव	04

मध्यान्ह भोजन योजना :-

जिला ग्वालियर में 1465 प्राथमिक विद्यालय , शिक्षा गारंटी केन्द्र, अनुदान प्राप्त प्राथमिक विद्यालय एवं मदरसों के कक्षा 1 से 5 तक के छात्र-छात्राओं को 1 जुलाई 2004 से मध्यान्ह भोजन वितरित किया जा रहा है। जिसमें 153024 छात्र-छात्राएँ लाभान्वित हो रहे हैं। इसमें दाल रोटी सब्जी इत्यादि रूचिकर भोजन वितरित किया जा रहा है। इस हेतु 3 करोड 4लाख रूपये शासन से जिला पंचायत कार्यालय को प्राप्त हुआ है। तथा खाद्वान हेतु 37179.89 किंवाटल गेहुँ प्राप्त हुआ है। वर्तमान में सितम्बर 2005 तक 1465 विद्यालयों में कक्षा 1 से 5 तक के 153024 छात्र-छात्रायें इस भोजन से लाभान्वित हो रहे हैं । शासकीय विद्यालयों में शिक्षक पालक संघ की देख रेख में यह योजना संचालित की जा रही है। इसमें स्वयंसेवी संस्थाओं से भी सहयोग देने हेतु कार्यवाही प्रचलित है। इसे शीघ्र ही मध्यान्ह भोजन योजना (एम0डी0एम0) से जोड लिया जावेगा।

मदरसा आधुनिकीकरण योजना :-

जिले के मुस्लिम समुदाय के बच्चों के लिए औपचारिक शिक्षा का अवसर दिया गया है , जिले में कुल 50 मदरसे संचालित है, जिनमें 35 मदरसे मान्यता प्राप्त एवं 15 मदरसे अनुदान प्राप्त संचालित है। अनुदान प्राप्त मदरसों को केन्द्रीय योजनान्तर्गत वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है । मदरसा शिक्षकों को औपचारिक शिक्षा पर प्रशिक्षण दिया जाता है । तथा मदरसों मे पढ रहे वच्चों को निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें प्रदान की जाती है। वर्ष 200-2005 मे 2044 बच्चे लाभान्वित हुए तथा 45 मदरसा शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया गया। वर्ष 2005 में 15 अनुदान प्राप्त मदरसों को वित्तीय वर्ष 2002-2003 एवं 2003-2004 के लिए स्वीकृत राशि 1368000/- रूपये का भुगतान (36000/- प्रति एक शिक्षक प्रति वर्ष के मान से) किया गया ।

जिले के अनुदान प्राप्त 15 मदरसे निम्नानुसार है:-

1. मदरसा उस्मानिया गेडे वाली सडक लश्कर
2. ,, अन्जुमन जलाल खों गोठ लश्कर
3. ,, एजा-ए-मुस्तफा अवाडुरा लश्कर
4. ,,यादगारे हुसैन पाटनकर का बाडा लश्कर
5. ,, मदीना माधवगंज थाने के पास लश्कर
6. ,,कम्पू ईदगाह कम्पू लश्कर ग्वालियर
7. ,, अनबारूल उलूम शाही जामा मस्जिद ग्वालियर
8. ,, जीनतुल इस्लाम मेवाती मौहल्ला ग्वालियर
9. ,, हजरत ख्वाजा खानून दरगाह परिक्षेत्र ग्वालियर

10. ,, जामिया हनफिया रिजिवियाजीवाजीगंज ईदगाह लश्कर
11. ,,कहकसा पुलिस लाईन ग्वालियर
12. ,, सूफियान अबाडपुरा लश्कर
13. ,, यसरब बावन पायगा लश्कर
14. ,, जुबेदा फिरदौसी मेवाती मौहल्ला ग्वालियर
15. ,, एजजुल उलूम इन्द्रानगर अबाडपुरा ग्वालियर ।

जिले के मान्यता प्राप्त 35 मदरसे निम्नानुसार है :-

1. मदरसा डॉ0 जाकिर हुसैन शंकरपुर ग्वालियर
2. ,, शेरखॉ उदू तालीम पुरानी छावनी ग्वालियर
3. ,, डॉ0 अब्दुल कलाम ग्राम कुलैथ ग्वालियर
4. ,, तालीमुल इस्लाम सिकन्दरकम्पू लश्कर
5. ,, मौहम्मद गौस उदू तालीम शीतला गली ग्वालियर
6. ,, अरविया बैहरूल उलूम घोसीपुरा
7. ,, कादरी इन्द्रा नगर अबाडपुरा
8. ,, मुस्तफा ए उलूम अबाडपुरा लश्कर
9. ,, रूबी शिवनगर घोसीपुरा ग्वालियर
10. ,,पीरे आजम शंकरपुर मोतीझील
11. ,,लश्करे सिगौरा ग्वालियर
12. ,, बाबा शम्स तवरेज गेडेवाली सडक लश्कर
13. ,,इस्लामिक एण्ड उदू लोकोशेड बिरला बाडा तानसेन रोड
14. मदरसा शमा-उल-उलूम ग्राम पलायछा भितरवार
15. ,, दि अरिहन्त पब्लिक सिकन्दर कम्पू लश्कर
16. ,, इस्लामिया तालीमुल कुरआन मस्जिद शमशेरखॉ लोहियाबाजार लश्कर
17. ,, मिस्वाहुल उलूम खासमगी वाजार लश्कर
18. ,, नूर ब्रान्च सिरसौद
19. ,, बिस्मिल्लाह खँनम प्रा0वि0 अँतरी ग्वालियर
20. ,,व्लू स्टार रामाजी का पुरा ग्वालियर
21. ,, अब्दुल लतीफ नूरानी गौमती पुरा डबरा
22. ,, नबाब एजाज तारागंज लश्कर
23. ,, हजरत अली दारुल उलूम मदना बहोडापुर ग्वालियर
24. ,, आसमा उदू अरबी बशीपुरा बार्ड नं0-2 मुरार
25. ,, दीने इलाही सुतारपुरा मुरार
26. ,,फेजे आम जगनापुरा ग्वालियर
27. ,, नूरेइलाही जगताप की गोठ लश्कर
28. ,, इस्लामिया तालीमुल कुरआन छप्परवाला पुल लश्कर
29. ,,तालीमल कुरआन जामामस्जिद बस स्केन्ड के पास डबरा
30. ,, फजुल उलूम ग्राम डबरा पोस्ट-डबरा
31. ,,दारुल उलूम कादरिया गरीब नबाज गुढीगुडाकानाका लश्कर
32. ,,असगर -उल -उलूम जंगीपुरा डबरा
33. ,,नूर उल गोंसिया जवाहर कालौनी डबरा
34. ,,शाहिद अशफाक उल्लाखॉ अबाडपुरा लश्कर

35. „इस्लामिया हनफिया फलहुलकौम ए0बी0रोड ग्वालियर

संस्कृत पाठ शालाओं का आधुनिकीकरण :-

संस्कृत भाषा के उन्मुखीकरण , प्रचार , प्रसार एवं विकास के लिये निम्नलिखित कार्यक्रम संचालित किये जाते हैं ।

1. **संस्कृत दिवस** – जिले के विभिन्न विद्यालयों में संस्कृत सप्ताह का आयोजन किया गया । इस आयोजन में निम्न लिखित प्रतियोगितायें प्राथमिक , माध्यमिक , उच्चतर माध्यमिक स्तर पर आयोजित किये जाते हैं ।
 - अ. श्लोक पाठन
 - ब. वेदषाश्नम्
 - स. संस्कृत सुलेख
 - द. संस्कृत संभाषण
 - इ. सरस्वती बंदना
 - फ. निबन्ध प्रतियोगितायें

उक्त सभी प्रतियोगितायें विद्यालय स्तर पर वरिष्ठ एवं कनिष्ठ समूहों में विद्यालय स्तर पर करा कर प्रथम , द्वितीय , तृतीय चयन कर जिला स्तर पर करायी जाती हैं ।

2. संस्कृत भाषा के उन्मुखीकरण एवं विकास हेतु जिला स्तरीय प्रशिक्षण (संस्कृत शिक्षकों हेतु) शिविर आयोजित किया गया है जिसमें जिले के लगभग 100 शिक्षकों को प्रशिक्षण का लाभ प्राप्त हुआ ।
3. **छात्रवृत्तियां** – जिले में संस्कृत भाषा के प्रात्साहन हेतु कक्षा 9 के 329 , कक्षा 10 के 329 , कक्षा 11 के 40 तथा कक्षा 12 के 38 छात्र छात्राओं को संस्कृत भाषा में अधिक अंक प्राप्त करने एवं संस्कृत विषय लेने पर छात्रवृत्ति वितरित की गई ।
4. जिले में जीवाजीविश्वविद्यालय एवं संस्कृत बोर्ड के संयुक्त सहयोग एवं प्रयास के भवभूति समारोह का आयोजन जिला शिक्षा अधिकारी के मार्गदर्शन में सत्र 2004-2005 के माह में कराया गया । जिसमें नाटक , नृत्य नाटिकायें , स्कूल स्तर पर वरिष्ठ एवं कनिष्ठ समूह में प्रस्तुत की गई इसमें ग्वालियर जिले के अलावा अन्य जिले के प्रतियोगियों ने भी भाग लिया ।

जिले में संचालित शालाओं की संख्या

जिला ग्वालियर :-

स. क्र.	शाला का स्तर	केन्द्रीय शासन	स्कूल शिक्षा विभाग	स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा अनुदान प्राप्त	केन्द्र द्वारा सहायता प्राप्त	गैर सहायता प्राप्त (मान्यता प्राप्त)	योग
1	2	3	4	5	6	7	8
1	शिक्षा गारंटी	—	379	—	—	—	379
2	प्राथमिक विद्यालय	—	1001	78	—	1162	2163
3	माध्यमिक विद्यालय	—	516	38	—	1028	1544
4	हाईस्कूल	—	33	09	—	161	194
5	हा0सै0	06	35	11	—	118	153
6.	संस्कृत शाला	—	01	—	—	02	03
7.	मदरसे	—	—	—	14	37	51
	योग —	06	1964	136	14	2506	4484

नोट:- संस्कृत विद्यालय प्राथमिक विद्यालयों में सम्मिलित हैं ।

जिले में संचालित शा0 विद्यालयों की संख्या विकासखण्ड बार :-

विकासखण्ड का नाम	पूर्व प्रा0वि0	प्रा0 विद्यालय	शिक्षा गारन्टी शालायें	माध्यमिक शालायें	हाई स्कूल	उ0मा0वि0	कुल योग
1	2	3	4	5	6	7	8
मुरार	04	489	64	207	11	22	
घाटीगांव	—	149	122	106	09	04	
डबरा	—	184	89	101	06	05	
भितरवार	—	175	104	102	07	04	
योग —	04	997	379	516	33	35	1964

विकास खण्ड मुरार अन्तर्गत अशासकीय अनुदान प्राप्त उ०मा०वि०/हाई स्कूल /माध्यमिक विद्यालय /प्राथमिक विद्यालय एवं पूर्व माध्यमिक विद्यालय वर्तमान में निम्नानुसार संचालित है ।

विकास खण्ड – मुरार

स०क्र०.	नाम अशासकीय प्राथमिकविद्यालय विकास खण्ड –मुरार
1	अशा० आदर्श बाल मंदिर प्रा०वि०वांकडे की गोठ लश्कर
2	डा०अम्बेडकर लश्कर
3	लोकमान्यबालमंदिरलश्कर
4	ग्वा०नारीकल्याणलश्कर
5.	सिंधआदर्शलश्कर
6.	बालविकास शाला क्र०1लश्कर
7.	बालविकास शाला क्र०2 लश्कर
8.	बालविकास शाला क्र०3 लश्कर
9.	बालविद्यालयनई सड.क लश्कर
10.	नेताजी सुभाष लश्कर
11.	रामनारायणलश्कर
12.	दत्त वाल मंदिर लश्कर
13.	श्री प्रसाद नई सड.क लश्कर
14.	म्हात्मा गांधी लालाका बाजार लश्कर
15.	साधना गेडे वाली सड.क लश्कर
16.	बालमंदिर दौलत गंज लश्कर
17.	गंगादही मंडी लश्कर
18.	वीरागंनलक्ष्मीवाई गुरुकुल लश्कर
19.	राजेन्द्र शिशु प्रा०वि० नयाबाजार लश्कर
20.	आधुनिक वाल मंदिर क्षत्रीबाजार लश्कर
21.	बालोदय जीवाजी गंज लश्कर
22.	गांधी आदर्श गोल पहाडिया लश्कर
23.	जे०पी०नाका चन्द्र वदनी लश्कर
24.	बालक मंदिर फालका बाजार लश्कर
25.	गणेश बालक मंदिर लश्कर
26.	भग्नि निवेदिता लश्कर
27.	नन्हेमुन्ने की चटसार लश्कर
28.	आदर्श शिन्दे की छावनी लश्कर
29.	प्रताप हाई कोर्ट लश्कर
30	बाल भारती सराफा लश्का
31.	स्वस्ति लोहिया बाजारलश्कर
32.	सरस्वती संघ जयेन्द्र गंज लश्कर
32.	बाल मंदिर खेडापति लश्कर
33.	मीरा रसूलाबाद ग्वा०

34.	भारतीय विद्या मंदिर ग्वालियर
35.	बाल सदन जवाहर कॉलोनी लश्कर
36.	बुद्ध इंग्ले की गोठ लश्कर
37.	गोतम बुद्ध सैलार की गोठ लश्कर
39.	राधा कृष्णमामा का बाजार लश्कर
40.	सर्वोदय वाल विद्यालय सिंधी कौलानी लश्कर
41.	प्रा०वि० पानपत्ते की गोठ लश्कर
42.	राजवीर गुड.लश्कर
43.	व०सनातन धर्म लश्कर
44.	नारायण नाका चंद्र वदनी लश्कर
45.	स्वस्वती वाल मंदिर लश्कर
46.	इन्दिरा कोटाबाला मोहल्लाग्वालियर
47.	सरोजनी नायडू फूलबाग लश्कर
48.	श्री गांधी आरामिलग्वा०
49.	अरविंदवालमंदिरग्वा०
50.	श्रीराम ज्ञांसीगंज ग्वा०
51.	वाल भवन नं०2 ग्वा०
52.	जो०सी०मिल्स क्रं०3ग्वा०
53.	सुभाषमंगलेश्वर पथ ग्वा०
54.	गंगाधर वाल विद्यालय सौड.। कुआग्वालियर
55.	राधाकृष्णलोहामंडी ग्वा०
56.	सेन्टलरेल्वेकॉलोनी ग्वा०
57.	शिवमैदाई मोहल्ला ग्वा०
58.	श्याम ठाटीपुर 100:
59.	सी०पी० मुरार
60.	दिंगबर जैन महावीर मुरार
61.	बालक मंदिर ठाटीपुर मुरार
62.	गोपाल वीरसावरकर लश्कर
63.	गोपाल वाल विद्यालय रामकुई 100:
64.	आर्य कन्या पाठशालालश्कर
65..	डी०ए०व्ही प्रा०वि० बरादरी मुरार
66.	अशा०वालविद्यालय नई सड.क लश्कर
67..	ज्योतिभाउकाबाजारलयकर
68.	साधना गेडेवाली सडकलश०
69.	ईश्वरचंद्रविद्यासागरलश्कर
70.	सुभाषमंगलेश्वरपथग्वा०
71.	ग्वा०नारीकल्याणलश्कर

माध्यमिक विद्यालय विकासखण्ड मुरार

1.	अशास० बालक मंदिर दानाओली लश्कर
2.	अशास० बाल सदन जवाहर कालौनी लश्कर

3.	अशास0 बालक मंदिर टाटीपुर मुरार
4.	अशास0 श्रीप्रसाद विवेकानंद मार्ग लश्कर
5	अशास0 कृष्णा देवी मुरार
6	अशास0 रवीन्द्र न्यू कालौनी बिरलानगर(100:/ ग्रान्ट
7	अशास0 दिगम्बर जैन महावीर मुरार
8	अशास0 सुभाष मंगलेश्वर पथ ग्वालियर
9	अशास0 बालोदय लक्ष्मीगंज लश्कर
10	अशास0 मा0वि0 रायसिंह का बाग लश्कर
11	अशास0 डॉ0 अम्बेडकर हेमसिंह की परेड लश्कर
12	अशास0 सार्वजनिक नई सडक लश्कर
13	अशास0 आधुनिक वाल मंदिर छत्री बाजार लश्कर
14	अशास0 बर्द्धमान दानाओली लश्कर
15	अशास0 प्रताप हाईकोर्ट लश्कर
16	अशास0 स्वामी राम लला गॉधी नगर ग्वालियर
17	अशास0 साधना गेढे वाली सडक लश्कर
18	अशास0 बालक मंदिर दौलतगंज लश्कर
19	अशास0 बालक मंदिर खैडापति लश्कर
20	अशास0 जे0पी0 नाका चन्द्रवदनी लश्कर
21	अशास0 मीरा मा0वि0 रसूलाबाद ग्वालियर
22	अशास0 भारतीय विद्या मंदिर तानसेन नगर ग्वा0
23	अशास0 श्री गोपाल वीरसावरकर सरोवर मार्ग लश्कर
24	अशास0 सहयोगी विरलानगर ग्वालियर
25	अशास0 ईश्वरचन्द्र विद्यासागर कदमसाहव का बाडा ग्वा.
26	अशास0 गॉधी आदर्श सैलार की गोठ लश्कर
27	अशास0 रामनरायण नया बाजार लश्कर
28	अशास0 राधाकृष्ण मामा का बाजार लश्कर
29	अशास0 सरस्वती संघ मा0वि0 जयेन्द्रगंज लश्कर
30	अशास0 बीरांगना लक्ष्मीबाई गुरुकुल नईसडक लश्कर
31	अशास0 श्री गॉधी इन्ड्रस्टियल ऐरिया ग्वा0
32	अशास0 राधाकृष्ण लोहा मण्डी ग्वालियर
33	अशास0 विद्यालोक जाधव महल लश्कर
34	अशास0 डी0ए0व्ही0 मा0वि0 लोहामण्डी ग्वालियर

हाईस्कूल/उ0मा0वि0 विकासखण्ड मुरार

1	अशास0 जे0सी0मिल उ0मा0वि0 बिरलानगर ग्वालियर
2	„ डी0ए0व्ही0 उ0मा0वि0 लोहामण्डी ग्वालियर
3	„ महारूद्र मण्डल उ0मा0वि0 लाला का बाजार लश्कर
4	„ पी0जी0व्ही0 उ0मा0वि0 जीवाजीगंज लश्कर
5	„क0 सनातन धर्म उ0मा0वि0 लश्कर
6	„ कन्या आराधना उ0मा0वि0 क्षत्रीबाजार लश्कर
7	„डी0ए0व्ही0 उ0मा0वि0 नयाबाजार लश्कर

8	„सहयोगी हाईस्कूल बिरलानगर ग्वालियर
9	„ भारतीय विद्या मंदिर हाईस्कूल तानसेन मार्ग ग्वालियर
10	„ राधाकृष्ण हाईस्कूल लोहामण्डी ग्वालियर
11	„बालक मंदिर(महिला मण्डल) दानाओली लश्कर
12	„लक्ष्मीबाई स्मारक हाईस्कूल नईसडक लश्कर
13	„ प्रताप हाईस्कूल हाईकोर्ट लश्कर
14	„ हाईस्कूल पारसेन मुरार
	विकास खण्ड –घाटीगाँव (प्राथमिक विद्यालय)
1.	अशास0 जनता प्रा0वि0 भयपुरा
1	अशास0 श्याम उ0मा0वि0 बरई
	विकास खण्ड डबरा (प्राथमिक विद्यालय)
1	अशास0 शारदा प्रा0वि0 डबरा
2	„ संतकवर राम प्रा0वि0 डबरा
3	„ एम0एस0डी0 प्रा0वि0 डबरा
4	„ हमीर आदर्श प्रा0वि0डबरा
5	„ गोबिन्द्र प्रा0वि0 डबरा
1	अशा0 डी0ए0व्ही0मा0वि0 डबरा (माध्यमिक विद्यालय)
2	अशा0 मा0वि0 गोबिन्द्र डबरा
3	अशास0 संतकवर राम मा0वि0डबरा
4	अशास0 एम0एस0डी0मा0वि0 डबरा
1	अशास0 डी0ए0व्ही0उ0मा0वि0 डबरा (उ0मा0वि0 / हाईस्कूल)
2	„ जनता उ0मा0वि0 डबरा
3	„जनता हाईस्कूल छीमक डबरा
	हाईस्कूल / उ0मा0वि0 विकासखण्ड भितरवार
1	अशास0 बापू उ0मा0वि0 आंतरी
2	„ सुभाष हाईस्कूल अमरौल